

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018—ज्येष्ठ 25, शक 1940

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2018

क्र. ई-1-129-2018-5-एक.—श्री संजय कुमार, भाप्रसे (2011), राज्य शिष्टाचार अधिकारी तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री संजय कुमार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने

की दिनांक से, राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 11 से 15 जून 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं दिनांक 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मनीष रस्तोगी की अवकाश अवधि में प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश का प्रभार श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग तथा प्रमुख सचिव, विमानन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का प्रभार श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को एवं प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनीष रस्तोगी द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे एवं श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे/होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1031-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, आयएएस., संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 23 से 26 मई 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1048-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 31 मई से 2 जून 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रभार श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. कृष्ण चैतन्य, केवल कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. ई-1-133-2018-5-एक.—श्री सत्यानंद, भावसे, आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम दिनांक 9 जून 2018 तक अवकाश पर हैं।

(2) श्री सत्यानंद की अवकाश अवधि में आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल का प्रभार श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे (2001), संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को तथा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996), प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मंडी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-857-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी., आयएएस., तत्कालीन कलेक्टर, जिला पन्ना को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2017 द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2017 से 21 मई 2018 तक एक सौ अस्सी दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 22 मई से 21 जून 2018 तक, इकतीस दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी., अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

क्र. ई-5-913-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरजिंदर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 4 से 15 जून 2018 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-975-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को दिनांक 9 से 19 जुलाई 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1039-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े, भाप्रसे, (2016) सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 1 से 6 अक्टूबर 2018 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. ई-1-130-2018-5-एक.—श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे, (2000) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

क्र. एफ 1(बी) 35-2017-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	03	सुश्री प्रतिष्ठा राठौर, आत्मजा स्व. श्री अमर सिंह राठौर, मेला पिराणपीर रोड, कपास मण्डी, वैष्णव कालोनी, सनावद, तह सील बडवाहा, जिला खरगौन म. प्र. 451111.	देवास

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जावेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जांच एवं अर्मांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित-किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियुक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

क्र. एफ 1(बी)35-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 6642/59/2016/चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची के वरिष्ठता क्र. 44 (अनुक्रमांक 138798) (अनुसूचित जनजाति-पुरुष) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री प्रभात कुमार पट्टा, बिंझिया तिराहा, दिव्य ज्योति नर्सिंग होम के पीछे, मण्डला म. प्र. 481661 के संबंध में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्र. स.मे.बो./17/9004, दिनांक 19-9-2017 के साथ संलग्न प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन में Partial colour blind अंकित होने के कारण इनकी अनफिट लेख किये जाने पर इनकी दिनांक 10-1-2018 को समक्ष में सुनवाई नियत की गई. सुनवाई में इनके द्वारा पुनः राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र ग्राह्य किया जाकर इनका राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया और समसंख्यक पत्र दिनांक 5-5-2018 द्वारा इस हेतु संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल को लिखा गया है.

(2) श्री प्रभात कुमार पट्टा द्वारा दिनांक 11-5-2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह लेख किया गया कि उनका अन्य वरिष्ठ वर्ग/पद पर चयन हो जाने के कारण उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं.

(3) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 के नियम 8 (2) (घ) के अनुसार अभ्यर्थी चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना चाहिये और दृष्टि जांच (विजन टेस्ट) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिये, उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिये संबंधी प्रावधान के विपरीत श्री प्रभात कुमार पट्टा को Partial colour blind होने के कारण संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट लेख किये जाने एवं उपर्युक्त कंडिका 02 में उल्लेखित अनुसार उनके द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर से उम्मीदवार लिये जाने संबंधी आवेदन पत्र के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची से उनकी नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

क्र. एफ 1(बी) 60-2017-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसंसित अनुपूरक सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	11	श्री मनीष राज, म. न. 429, वार्ड नं. 11, पटेल नगर तहसील एवं जिला रायसेन म. प्र. 464551.	सीहोर

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) इन परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रथम चरण का बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत द्वितीय चरण के जिले का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी इन्हीं जिलों में पूर्ण किया जावेगा.

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगे. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(6) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवाएँ बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(9) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जाँच

एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(11) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों को पूर्ण संज्ञान है।

क्रमांक एफ-17-2018-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2-2-2018 को निरस्त करते हुए राज्य शासन श्री साजिद फरीद शाहू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली, कैम्प पु.मु. भोपाल को दिनांक 29 जनवरी 2018 से 13 मई 2018 तक, एक सौ पांच दिवस की अवधि में उनकी पुत्री का इलाज कराने हेतु न्यूयार्क (यू.एस.ए.) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है।

2. आदेश की शेष कंडिका यथावत् रहेंगी।

क्र. एफ 1(ए)59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अशोक गोयल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध ग्वालियर को दिनांक 8-5-2018 से दिनांक 24-5-2018 तक सत्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है।

(2) श्री अशोक गोयल, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संजय कुमार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर शासन श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक गोयल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)212-1996-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पु.मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वर्ड करते हुए) परिवार सहित गृह नगर सहारनपुर, उ. प्र. जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 11-6-2018 से दिनांक 15-6-2018 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 9, 10 एवं 16-17 जून 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

1.	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा	—	स्वयं
2.	श्री विजय शर्मा	—	पुत्र

(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री साजिद फरीद शाहू, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से., अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1(बी)35-17-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 6642-59-2016/चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के स. क्र. 22 पर चयनित अभ्यर्थी की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम (6) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:—

स. क्र. (1)	मैरिट क्र./अनुक्रमांक (2)	नाम (3)	सीट (4)	श्रेणी (5)	नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण (6)
1	22/104719	श्री राजेश लिल्हारे	OBC	OBC	पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल, विशेष शाखा के पत्र दिनांक 13-4-2018 के माध्यम से प्राप्त श्री राजेश लिल्हारे के चरित्र सत्यापन के संबंध में छानबीन समिति द्वारा श्री राजेश लिल्हारे को पुलिस सेवा के लिये अयोग्य पाये जाने के निर्णय के आधार पर.

क्र. एफ 1(बी)60-17-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2016 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्र. 7048/03/2017/चयन, दिनांक 26 जुलाई 2017 एवं पत्र क्र. 16318/03/2017/चयन, दिनांक 9 फरवरी 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्य सूची एवं अनुपूरक सूची से चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची व अनुपूरक सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम (6) में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है:—

स. क्र. (1)	मुख्य सूची का वरिष्ठता क्र./अनुक्रमांक (2)	नाम (3)	सीट (4)	श्रेणी (5)	नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण (6)
1	01/156962	श्री आशुतोष गोस्वामी	UNR	GEN	राज्य सेवा परीक्षा-2016 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर सा.प्र.वि. द्वारा दिनांक 16-4-2018 को नियुक्ति आदेश जारी करने एवं इनके द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना के आधार पर समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 1-2-2018 को निरस्त करते हुए.
2	07/115751	श्री प्रमोद सिंह गुर्जर	UNR	OBC	राज्य सेवा परीक्षा-2017 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर सा.प्र.वि. द्वारा दिनांक 24-3-2018 को नियुक्ति आदेश जारी करने एवं इनके द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना के आधार पर समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 1-2-2018 को निरस्त करते हुए.
3	09/177621	सुश्री संपदा सराफ	UNRF	GEN	राज्य सेवा परीक्षा-2017 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर सा.प्र.वि. द्वारा दिनांक 24-3-2018 को नियुक्ति आदेश जारी करने एवं इनके द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना के आधार पर समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 1-2-2018 को निरस्त करते हुए.
4	13/250606	सुश्री पूजा शर्मा	UNRF	GEN	गृह विभाग के आदेश दिनांक 25-5-2017 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त एवं प्रशिक्षणरत होने के कारण राज्यसेवा परीक्षा-2016 में चयन उपरान्त उप पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना के आधार पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	30/263073	सुश्री इति शर्मा	UNR	GEN	राज्य सेवा परीक्षा-2016 की अनुपूरक सूची से सहायक संचालक, उद्योग/प्रबंधक के पद पर चयन उपरांत उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने एवं उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना के आधार पर समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 1-2-2018 को निरस्त करते हुये.
6	35/216266	सुश्री निशा बांगरे	SCF	SC	राज्य सेवा परीक्षा-2017 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर सा. प्र. वि. द्वारा दिनांक 24-3-2018 को नियुक्ति आदेश जारी करने एवं इनके द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना के आधार पर समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 1-2-2018 को निरस्त करते हुये.
7	39/110376	श्री रवि वर्मा	SC	SC	राज्य सेवा परीक्षा-2017 में उप जिलाध्यक्ष के पद पर सा. प्र. वि. द्वारा दिनांक 24-3-2018 को नियुक्ति आदेश जारी करने एवं इनके द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना के आधार पर समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 1-2-2018 को निरस्त करते हुये.
8	अनुपूरक सूची का वरि. क्र. 15/129 122	श्री रजनीश कश्यप कोल	ST	ST	राज्य सेवा परीक्षा-2014 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरांत नियुक्त एवं प्रशिक्षणरत होने के कारण राज्य सेवा परीक्षा 2017 की अनुपूरक सूची से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की लिखित सूचना के आधार पर.

### संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. एफ 1-48-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मई 2018 को निरस्त करते हुए श्री संजय चौधरी, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, म. प्र. भोपाल को दिनांक 10 मई से 22 मई 2018 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में जुमेरा, दुबई (UAE) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान करता है.

2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगीं.

क्र. एफ 1(ए)398-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पु. मु. भोपाल को दिनांक 4 से दिनांक 8 जून 2018 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3 व 9-10 जून 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री डी. सी. सागर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (तकनीकी सेवाएं), पु. मु. भोपाल, द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.



(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2018

क्र. एफ-1(ए)253-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अति. महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में परिवार सहित जम्मू कश्मीर (गुलमर्ग-पहलगाम) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 4 जून से 8 जून 2018 तक पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 3 जून 2018 व 9 जून 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- |                     |   |       |
|---------------------|---|-------|
| 1. डॉ. आर. के. गर्ग | — | स्वयं |
| 2. मयंक गर्ग        | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अति. महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2018

क्र. एफ 1(ए)11-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अंशुमन यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर को दिनांक 12 से दिनांक 21 जून 2018 तक दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री अंशुमन यादव, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री योगेश देशमुख, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमन यादव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अंशुमन यादव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अंशुमन यादव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुमन यादव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)120-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री के. बाबू राव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पु. मु. भोपाल को दिनांक 11 से 25 जून 2018 तक 15 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 9-10 जून 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर गुंटूर (आन्ध्रप्रदेश) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- |                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| 1. श्री के. बाबू राव         | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती के. विजया लक्ष्मी | — | पत्नी |

(2) श्री के. बाबू राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, बीपीआरएण्डडी/पुलिस मैन्युअल, पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. बाबू राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. बाबू राव, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. बाबू राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबू राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2018

क्र. एफ 1(ए)65-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज खरगौन को दिनांक 18 से 30 जून 2018 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश तथा 17 जून 2018 व 1 जुलाई 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनिल शर्मा, भापुसे पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर जोन (ग्रामीण) इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप

महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवध किशोर पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2018

क्र. 1717-इक्कीस-ब (एक).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16259-1-3-2012-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 5 अक्टूबर 2016 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 22 तथा 36 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	व्यवहार जिले का नाम	न्यायालयों की संख्या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
(1)	(2)	(3)
"22.	इन्दौर	41
36.	सागर	19."

No. 1717-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) the State Government hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F. No. 16259-1-3-2012-XXI-B (One), dated 5th October 2016, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 16th December 2016 namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for the serial number 22 and 36 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name and Civil Distrit	Number of Courts Additional District Judges
(1)	(2)	(3)
"22.	Indore	41
36.	Sagar	19."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी 2018

क्र बी-1153-तीन-10-40-78.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4666/तीन-10-40-78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार त्रुटि सुधार किया जाता है। उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 22 एवं 36, क्रमशः इन्दौर एवं सागर सिविल जिलों तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

## सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	इन्दौर	इन्दौर	34*	इन्दौर	50	इन्दौर	64
		डॉ. अम्बेडकर नगर	5	डॉ. अम्बेडकर नगर	5	डॉ. अम्बेडकर नगर	8
		सांवेर	1	सांवेर	2	सांवेर	2
		देपालपुर	1	देपालपुर	3	देपालपुर	2
						हतोद	1
36	सागर	सागर	10*	सागर	7	सागर	11
		खुरई	3	खुरई	2	खुरई	3
		रेहली	2	रेहली	1	रेहली	1
		बण्डा	1	बण्डा	3	बण्डा	2
		बीना	2	बीना	1	बीना	2
		देवरी	1	देवरी	1	देवरी	1

Jabalpur dated 24th February 2018

No. B-1153-III-10-40-78.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C/4666/III-10-40/78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 16th December, 2016 following correction is made. In the said notification in the table for the serial number 22 and 36, Indore and Sagar respectively the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Indore	Indore	34*	Indore	50	Indore	64
		Dr. Ambedkar Nagar	5	Dr. Ambedkar Nagar	5	Dr. Ambedkar Nagar	8

\* denotes corrections.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sanwer	1	Sanwer	2	Sanwer	2
		Depalpur	1	Depalpur	3	Depalpur	2
						Hatod	1
36	Sagar	Sagar	10*	Sagar	7	Sagar	11
		Khurai	3	Khurai	2	Khurai	3
		Rehli	2	Rehli	1	Rehli	1
		Banda	1	Banda	3	Banda	2
		Bina	2	Bina	1	Bina	2
		Deori	1	Deori	1	Deori	1
						Garhakota	1

\* denotes corrections.

शरतचंद्र सक्सेना, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2018

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

फा. क्र. 3(बी)3-2016-इक्कीस-ब(एक)-2636.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 की चयन सूची दिनांक 29 अगस्त 2017 में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री इन्द्रजीत रघुवंशी पिता श्री रामजीलाल रघुवंशी (मेरिट क्र. 36) की ओर से निर्धारित अवधि के अन्दर पदभार ग्रहण नहीं किये जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्वारा श्री इन्द्रजीत रघुवंशी पिता श्री रामजीलाल रघुवंशी का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 36 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करते हुए नियुक्ति आदेश क्रमांक 3(ए) 2016/21-ब(एक) 3793, दिनांक 19 जनवरी 2017 निरस्त करता है।

फा. क्र. 3(बी)1-2016-इक्कीस-ब(एक)-2634.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 की चयन सूची दिनांक 29 अगस्त 2017 में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री उमेश कुमार शर्मा पिता श्री विश्वेश्वर दयाल शर्मा (मेरिट क्र. 29) की ओर से प्रेषित प्रस्ताव पर, विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा पिता श्री विश्वेश्वर दयाल शर्मा का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 प्रवेश स्तर की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 29 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है।

फा. क्र. 2164-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, ADJ, धार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार के सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करता है।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

पंजी क्रमांक-2635-2018-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा अनुसार उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं उनके नाम के समक्ष दर्शित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

क्र. (1)	नाम (2)	पदस्थापना (3)
1	श्री प्रकाश चन्द गुप्ता, (सीनियर) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी.	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.
2	श्री नवीन कुमार सक्सेना, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से श्री गौरी शंकर दुबे के दिनांक 31-5-2018 को सेवानिवृत्त उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
3	श्री प्रेम नारायण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा.	रजिस्ट्रार (सतर्कता) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से श्री विजयचन्द्रा के स्थान पर.
4	श्री लीलाधर बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा.	जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर की हैसियत से श्री अनिल वर्मा के स्थान पर.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2018

फा. क्र. 17 (ई)2-2002-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री रामनारायण चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर की सेवाएं, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को सौंपता है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 2511 (मेरिट क्र. 79), राज्य शासन, श्री भूपेन्द्र आर्य पिता श्री नारायण जी आर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1986 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3803 (मेरिट क्र. 28), राज्य शासन, सुश्री निधि जैन पिता श्री विमल कुमार जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 16 सितम्बर 1982 है।

भोपाल, दिनांक 5 जून 2018

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री राजेन्द्र आर. सुगन्धी, अधिवक्ता इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 16 अप्रैल 2018 से दिनांक 15 अप्रैल 2019 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 जून 2018

पंजी क्र. 762-2018-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, तहसील-बागली, जिला-देवास में नियुक्त नोटरी, श्री कांतिलाल चौधरी का दिनांक 29-9-2017 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, मृतक के नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 25 फरवरी 2014 को अपास्त करते हुए श्री कांतिलाल चौधरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव।

## योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2018

क्र. 697-654-2018-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999, की धारा, 4 की उपधारा 3 (ग) तथा संशोधित अध्यादेश, 2005 की धारा 4 (1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम-(2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम-(3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1.	श्री उमेश ठाकुर	मण्डला
2.	श्री राजेश जैन	मण्डला

भोपाल, दिनांक 25 मई 2018

क्र. 887-855-2018-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999, की धारा, 4 की उपधारा 3 (ग) तथा संशोधित अध्यादेश, 2005 की धारा 4 (1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम-(2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम-(3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जी. एस. ठाकुर	जबलपुर
2.	श्री शिव पटेल	जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शैलबाला मार्टिन, उपसचिव।

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2018

क्र. 564-262-2018-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह अधिसूचित करता है कि ग्वालियर के स्थानीय क्षेत्र के लिए समाधानकर्ता को संदर्भित जे. बी. मंगाराम मजदूर संघ, ग्वालियर एवं प्रबंधक, जे. बी. मंगाराम फूड्स प्रा. लि., ग्वालियर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका:—

### अनुसूची

#### औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम.पी.आई.आर./17

No. 564-262-2018-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, notify that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between J. B. Mangharam Majdoor Sang, Gwalior and Manager J. B. Mangharam Foods Private Limited, Gwalior in regard to the Industrial matters included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the local area of Gwalior:—

#### SCHEDULE

#### Industrial Dispute No. 1/MPIR/17.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2018

क्र. 564-262-2018-ए-सोलह.—चूंकि, जे. बी. मंगाराम मजदूर संघ, ग्वालियर (मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संघ) एवं सेवानियोजक प्रबंधक जे. बी. मंगाराम फूड्स प्रा. लि., ग्वालियर के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय के पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतएव, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त विवाद को नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, ग्वालियर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है:—

### अनुसूची

1. क्या संस्थान में कार्यरत सभी श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान बोनस/एक्सग्रेसिया एक समान रूप रु. 25000/- (रुपये पच्चीस हजार) प्रदाय किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये?
2. क्या संस्थान में कार्यरत सभी श्रमिकों को कारखाना अधिनियमानुसार अर्जित अवकाश (ई-एल) का भुगतान 180 कार्य दिवस का आधार मानकर किया जाता है किन्तु यात्रा भत्ता का भुगतान 180 दिन कार्य दिवस मानकर नहीं किया जा रहा है अतः क्या यात्रा भत्ते का भुगतान 180 कार्य दिवस मानकर किया जाना औचित्य पूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिये?
3. क्या संस्थान में कार्यरत सभी श्रमिकों को एफ.बी.सी. एलाउन्स रु. 75 कई माह से श्रमिकों को नहीं दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिये? एवं इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये?
4. क्या संस्थान में कार्यरत नवीन भर्ती से आये सभी स्थाई श्रमिकों को वेतन के अलावा अन्य बनेफिट दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए?
5. क्या संस्थान में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिये केन्टीन व साईकल स्टैण्ड की मांग औचित्य पूर्ण है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिये?
6. क्या संस्थान में कार्यरत सभी श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य दिनांक 10-6-2015 एवं 16-6-2016 को सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर की उपस्थिति में लिखित समझौते के बिन्दुओं का पूर्ण पालन प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिये? तथा इस संबंध में प्रबंधन को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये?

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. एस. परमार, अपर सचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2018

क्र. एफ-3-5-2018-अठारह-6.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह समीचीन है कि चित्रकूट क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये।

अतएव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 64 की उपधारा (1), (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न सीमा क्षेत्र के लिए चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है। इस क्षेत्र में चित्रकूट नगर परिषद् क्षेत्र एवं चित्रकूट निवेश क्षेत्र समाहित है:—

### चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमायें

**उत्तर में**—ग्राम खरहा, सेजवार, लालापुर, चौबेपुरा, पालदेव, पउसरहा, पथरा, रजौला, कामता एवं पोखरवार की पूर्वी सीमा तक।

**पूर्व में**—ग्राम पोखरवार, नया गांव, मोहकमगढ़, रजौला, कोटरिया एवं पड़वनिया की दक्षिणी सीमा तक।

**दक्षिण में**—ग्राम पड़वनिया, थर पहाड़, चौबेपुरा, लालापुर, सेजवार एवं खरहा की पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम में**—ग्राम खरहा की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा तक।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है जो निम्नानुसार है:—

1. धारा 65(1)(क)—अध्यक्ष—कलेक्टर, जिला सतना।
2. धारा 65(1)(ख)—उपाध्यक्ष—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला सतना।
3. धारा 65(1)(ग)—सदस्य—कोई नहीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव।

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. डी-15-30-18-चौदह-3.—मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिसूचना क्र. डी-15-3-99-चौदह-3 दिनांक 15 मार्च 2000 से राज्य सरकार द्वारा तारीख 1 अप्रैल 2000 से अधिसूचित कृषि उपज चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो के विक्रय पर अथवा अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो और प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई हो, की कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस नियत की गई है।

2. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, अधिनियम की धारा 2(1) (क) की अनुसूची के मद क्रमांक पन्द्रह—“कृषि औषधीय उपज” के सरल क्रमांक 11 पर अधिसूचित “ईसबगोल” के विक्रय पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर के स्थान पर प्रत्येक एक सौ रुपये पर पचास पैसे की दर से मण्डी फीस नियत करती है :

परन्तु इस प्रकार अधिसूचित कृषि औषधीय उपज “ईसबगोल” पर नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-5-2000-चौदह-3, दिनांक 10 नवम्बर 2000 की अनुसूची-एक में नियत की गई, विपणन विकास निधि मद अर्थात् “किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि” में कोई राशि देय नहीं होगी।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र.-डी-15-30-18-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 1 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal, dated 1<sup>st</sup> June 2018

No. D-15-30-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, fixed market fee on the purchase of notified agricultural produce whether brought from within the State or from outside the State into market area or on the notified agricultural produce whether brought from within the State or from outside the State into the market area and used for processing at the rate of Two rupees per every One hundred rupees of the price from 1<sup>st</sup> April, 2000.

2. In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 19 the said Act, the State Government hereby fix the market fee at the rate of fifty paise in place of rupees two for every one hundred rupees of the price on sale of notified agriculture produce “Isabgol” (Psyllium) as defined in the Schedule, Serial No. 11 of item-XV-Agri Medicinal produce, in Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, Section 2(1) (a):

Provided that from the market fee so fixed by revision, no money shall be payable in proviso of this department's notification No. D-15-5-2000-XIV-3 dated 10th November 2000, that is the determined head of amount in Schedule One, namely Vipanar Vikas Nidhi that is “Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund.”

This notification shall come in to force from the date of publication in “Gazette”.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्रमांक--एफ-25-18/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड N 22°59'33.552" से N 22°59' 49.412" उत्तर अक्षांश तथा E 74°55'32.410" से E 74°55'48.186" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- झाबुआ						तेहसील :- पेटलावद
वन मण्डल :- झाबुआ (सा.)						वन परिक्षेत्र :- पेटलावद
क्र.	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हे. में)	
1	2	3	4	5	6	
1	टांडालाला नायक	टांडालाला नायक	ना.काबिल काश्त	423 425 426 427 428 429 430	0.210 0.800 0.040 0.060 0.250 0.120 11.974	उत्तर :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	13.454	



(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. 6MPB143/2007-BHO/4433 दिनांक 05-12-2007 (2) 6-MPB/135/2007-BHO/4191 दिनांक 29-10-2007 (3) 6-MPB147/2006-BHO/2291 दिनांक 11-01-2007 (4) 6-MPB016/2007-BHO/3289 दिनांक 08-06-2007 (5) 6-MPB142/2007-BHO/4434 दिनांक 05-12-2007 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार 1. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1. धार 2. शहरीय परियोजना क्रियावयन ईकाई इंदौर नगर पालिका निगम इंदौर की स्वीकृत परियोजना 1.हेदरी टैक 2. डोंगलियापानी टैक 3. एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) सहायतित नर्मदा प्रोजेक्ट 4. एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) सहायतित पाईप लाईन 5. खनि आंबा टैक में प्रभावित (1) 3.723 (2) 1.794 (3) 4.75 (4) 1.00 (5) 2.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 13.454 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.454 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक 39/रीडर-1/97 दिनांक 5.1.1998 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2 अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक - 1865 दिनांक 02.05.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. एफ-25-18-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2017-दस-3, दिनांक 30 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> May 2018

No.-25-18/2017/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 22°59'33.552" to N 22°59' 49.412"North Latitude and E 74°55'32.410" to E 74°55'48.186" East Longitude.

**SCHEDULE**

District :- Jhabua						Tahsil :- Petlawad
Forest Division :- Jhabua						Forest Range :- Petlawad
S. No	Name of Forest Block	Name of Village	Details of Land Included			Forest Block Boundaries
			Present Head of Land	Khasra No	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	
1	Tanda lala Nayak	Tanda lala Nayak	NA. KABIL KASHT	423 425 426 427 428 429 430	0.210 0.800 0.040 0.060 0.250 0.120 11.974	North :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 08 of Protected Forest Block. East :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 13 of Protected Forest Block. South :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to 17 of Protected Forest Block. West :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 17 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	13.454	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1 In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No. 6MPB143/2007-BHO/4433 dated 05-12-2007 (2) 6-MPB/135/2007-BHO/4191 dated 29-10-2007 (3) 6-MPB147/2006-BHO/2291 dated 11-01-2007 (4) 6-MPB016/2007-BHO/3289 dated 08-06-2007 (5) 6-MPB142/2007-BHO/4434 dated 05-12-2007 and in lieu of 1. 3.723 2. 1.794 3. 4.75 4. 1.00 5. 2.50 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of 1. Haidri tank 2. Donglapani tank 3. ADB Assisted Narmad project 4. ADB Assisted Pipe Line 5. Khani Amba Tank of 1) Executive Engineer Water Resources Department Division No 1 Dhar No (2) Urban Project Execution Unit Indore Nagar Muncipal Corporation Indore the above mentioned Non forest land of 13.454 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Order No 39 /Rider-1/97 Dated 05.01.1998 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Resonans - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- 1865 Dated 02-05-2016 Of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Petlawad are as under.

(a) Individual Rights - There are no individual rights on the said Land.

(b) Community Rights - There are no communities rights on the said Land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्रमांक /एफ-25-21/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड N 23°1'2.620" से N 23°1'26.598" उत्तर अक्षांश तथा E 74°52'14.769" से E 74°52'41.430" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला :- झाबुआ						तेहसील :- पेटलावद
वन मण्डल :- झाबुआ (सा.)						वन परिक्षेत्र :- पेटलावद
क्र	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बाछीखेडा	बाछीखेडा	ना.काबिल काश्त	1756/4 1818/1	10.02 15.09	उत्तर :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	25.11	

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- 1 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. 6-MPC070/2007-BHO/359 दिनांक 15.02.2008 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल की स्वीकृत परियोजना नर्मदा वाटर सप्लाय में प्रभावित 32.891 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 25.11 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.11 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर झाबुआ के आदेश क्रमांक 432/रीडर-1/97 दिनांक 21.03.2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- 2 अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक - 1865 दिनांक 02.05.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. एफ-25-21-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-21-2017-दस-3, दिनांक 30 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> May 2018

No.-F-25-21/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23°1'2.620" to N 23°1'26.598" North Latitude and E 74°52'14.769" to E 74°52'41.430" East Longitude.

## SCHEDULE

District :- Jhabua			Tahsil :- Petlawad			
Forest Division :- Jhabua			Forest Range :- Petlawad			
S	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banchhikheda	Banchhikheda	NA.KABIL KASHT	1756 / 4 1818 / 1	10.02 15.09	North :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 07 of Protected Forest Block. East :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to 14 of Protected Forest Block. South :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to 20 of Protected Forest Block. West :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 20 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	25:11	

(A) Reason for Publication of Notification :-

- 1 In Accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No. 6-MPC070/2007-BHO/359 dated 15-02-2008 and in lieu of **32.891** hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Water Supply of Superintending Engineer Public Health Engineering Department Bhopal, the above mentioned Non-Forest land of 25.11 Hectare transferred or Muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Order No 432/Rider-1/97 Dated 21.03.2001 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons - Nil

- (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- 1865 Dated 02-05-2016 Of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Petlawad are as Under.

- 1 Individual Rights - There are no individual rights on the Said Land.
- 2 Community Rights - There are no communities rights on the Said Land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्रमांक-एफ-25-23/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी शीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड N 23°1'23.865" से N 23°1'40.116" उत्तर अक्षांश तथा E 74°51'50.766" से E 74°52'8.475" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला :- झाबुआ						तेहसील :- पेटलावद
वन मण्डल :- झाबुआ (सा.)						वन परिक्षेत्र :- पेटलावद
क्र	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बाछीखेडा	बाछीखेडा	ना.काबिल काश्त	1789	14.190	उत्तर :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	14.190	



(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

- 1 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. 6-MPC070/2007-BHO/359 दिनांक 15.02.2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल की स्वीकृत परियोजना नर्मदा वाटर सप्लाय में प्रभावित 32.891 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 14.190 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 14.190 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर झाबुआ के आदेश क्रमांक 432/रीडर-1/97 दिनांक 21.03.2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- 2 अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक - 1865 दिनांक 02.05.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. एफ-25-23-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-23-2017-दस-3, दिनांक 30 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> May 2018

No.-F-25-23/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23°1'23.865" to N 23°1'40.116" North Latitude and E 74°51'50.766" to E 74°52'8.475" East Longitude.

**SCHEDULE**

District :- Jhabua						Tahsil :- Petlawad
Forest Division :- Jhabua						Forest Range :- Petlawad
S. No	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Banchhikheda	Banchhikheda	NA.KABIL KASHT	1789	14.190	North :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 14 of Protected Forest Block. East :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to 16 of Protected Forest Block. South :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 19 of Protected Forest Block. West :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 19 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	14.190	

(A) Reason for Publication of Notification :-

- 1 In Accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No. 6-MPC070/2007-BHO/359 dated 15-02-2008 and in lieu of **32.891** Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Water Supply of Superintending Engineer, Public Health Engineering Department, Bhopal the above mentioned Non Forest land of 14.190 Hectare transferred or Muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Order No 432/Rider-1/97 Dated 21.03.2001 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- 1865 Dated 02-05-2016 Of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Petlawad are as Under.

- 1 Individual Rights - There are no individual rights on the Said Land.
- 2 Community Rights - There are no communities rights on the Said Land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्रमांक-एफ-25-27/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड N 23°7'53.777" से N 23°8'13.692" उत्तर अक्षांश तथा E 74°58'57.976" से E 74°59'27.279" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला :- झाबुआ						तेहसील :- पेटलावद
वन मण्डल :- झाबुआ (सा.)						वन परिक्षेत्र :- पेटलावद
क्र	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हे. में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	गुणावद	गुणावद	ना.काबिल काश्त	2144/1 2144/4 2144/5	12.630 01.288 16.350	उत्तर :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 26 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	30.268	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. 6-MPC047/2005-BHO/271 दिनांक 14.02.2006 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार अति मुख्य अभियंता (अति उच्चदाव निर्माण संधारण) मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी चांदबड भोपाल की स्वीकृत परियोजना 220 के.व्ही. विद्युत लाईन मेहेश्वर औंकारेश्वर परियोजना में प्रभावित 33.557 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 30.268 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 30.268 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर झाबुआ के आदेश क्रमांक 2332/रीडर-1/98 दिनांक 18.11.1998 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2 अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक - 1865 दिनांक 02.05.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. एफ-25-27-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-27-2017-दस-3, दिनांक 30 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> May 2018

No.-F-25-27/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23°7'53.777" to N 23°8'13.692" North Latitude and E 74°58'57.976" to E 74°59'27.279" East Longitude.

**SCHEDULE**

<b>District :- Jhabua</b>						<b>Tahsil :- Petlawad</b>
<b>Forest Division :- Jhabua</b>						<b>Forest Range :- Petlawad</b>
S.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunawad	Gunawad	NA.Kabil Kasht	2144 / 1 2144 / 4 2144 / 5	12.630 01.288 16.350	North :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 21 of Protected Forest Block. East :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 21 to 24 of Protected Forest Block. South :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 24 to 26 of Protected Forest Block. West :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 26 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	30.268	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1 In Accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No. 6-MPC047/2005-BHO/271 dated 14-02-2006 and in lieu of **33.557** Hectare of affected forest land under the sanctioned project of **220 K.V. Transmission line Maheshwar Omkareshwar Project of Addl. Chief Engineer (Extreme High pressure protection) Madhya Pradesh Transmission Company Chandbad Bhopal** the above mentioned Non Forest land of **30.268** Hectare transferred or Muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Order No 2332/Rider-1/98 of Dated 18.11.1998 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- 1865 Dated 02-05-2016 Of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Petlawad are as Under.

- 1 Individual Rights - There are no individual rights on the Said Land.
- 2 Community Rights - There are no communities rights on the Said Land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्रमांक-एफ-25-28/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड N22°55'18.209" से N 22°55'40.307" उत्तर अक्षांश तथा E 74°57'13.430" से E 74°57'43.888" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला :- झाबुआ						तेहसील :- पेटलावद
वन मण्डल :- झाबुआ (सा.)						वन परिक्षेत्र :- पेटलावद
क्र	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	पांचपिपला	पांचपिपला	ना.काबिल काश्त	1375/1	43.786	उत्तर :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	43.786	



(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक (1) No F.No. 8सी/43/2003-एफ.एल. डब्ल्यू./1125 dated 27-06-2006 (2) No F.No.6-MPC004/2008-BHO/1836 date 28-7-2008 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार (1) मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड (2) कार्यपालन यंत्री म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड बडवाह की स्वीकृत परियोजना (1) राक फास्फेट (2) 132 के.व्ही. नेपा-बडगांव विद्युत लाईन परियोजना में प्रभावित (1) 37.700 (2) 10.206 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 43.786 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 43.786 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर झाबुआ के आदेश क्रमांक 926/रीडर-1/97 दिनांक 30.6.2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2 अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(राजस्व)

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी,पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक - 1865 दिनांक 02.05.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

एफ-25-28-2017-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-28-2017-दस-3, दिनांक 30 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> May 2018

No.-F-25-28/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 22°55'18.209" to N 22°55'40.307" North Latitude and E 74°57'13.430" to E 74°57'43.888" East Longitude.

**SCHEDULE**

District :- Jhabua						Tahsil :- Petlawad
Forest Division :- Jhabua						Forest Range :- Petlawad
S. No	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Panchpipla	Panchpipla	NA.Kabil kasht	1375/1	43.786	North :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 08 of Protected Forest Block. East :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 10 of Protected Forest Block. South :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 15 of Protected Forest Block. West :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 15 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	43.786	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1 In Accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order (1) No F.No. 8C/43/2003- F.C.W/1125 dated 27-06-2006 (2) No F.No.6-MPC004/2008-BHO/1836 date 28-7-2008 and in lieu of (1) 37.700 (2) 10.206 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of (1) Rock Phosphate (2) 132 K.V. Nepa-Badgao Transmission line Project (1) M.P. State Mining Corporation Limited (2) Executive Engineer, M.P. Power Transmission Company Limited Badwah the above mentioned Non Forest land of 43.786 Hectare transferred or Muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Order No 926/Rider-1/2001 Dated 30.6.2001 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- 1865 Dated 02-05-2016 Of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Petlawad are as Under.

1 Individual Rights - There are no individual rights on the Said Land.

2 Community Rights - There are no communities rights on the Said Land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.



1	गोठानिया 'ब' कक्ष क.-पी. 331				दिनांक 09-3-2004		पूर्व:-मुनारा क.11 से 14 तक, खसरा क. 197/2 की सीमा। दक्षिण:-मुनारा क.14से25 तक, खसरा क. 194, 195, 196 एवं 197/1के शेष भाग की सीमा। पश्चिम:-मुनारा क.-25 एवं 1 तक, खसरा क. -199 की सीमा।
	गोठानिया 'सी'	गोठानिया / संरक्षित वनखंड गोठानिया 'सी' कक्ष क.-पी. 332	योग	20.247	पहाड	26-3-2004	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 9 तक, 4,5,6 एवं नाला (खसरा क.-242) सीमा। पूर्व:-मुनारा क. 9 से 15 तक, खसरा क. 7 एवं 112 की सीमा। दक्षिण:-मुनारा क. 15 से 19 तक, खसरा क. 112, 111,12,13,14,15,16,17 एवं 18 की सीमा। पश्चिम:-मुनारा क.-29 से 30 एवं 1 तक, कक्ष क. -1035 की सीमा। (आंतरिक सीमायें)खण्ड-1 उत्तर:-मुनारा क. 1 से 3 तक,खसरा क.-3 की सीमा। पूर्व:-मुनारा क. 3 से 7 तक, खसरा क. 3 की सीमा। दक्षिण:-मुनारा क. 7 से 9 तक, खसरा क. 3 की सीमा। पश्चिम:-मुनारा क.-9 से 10 एवं 1 तक, खसरा क.-3 की सीमा।
	कुल योग		योग	22.645			
				84.634			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कैप्टन अनिल कुमार खरे**, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. एफ-25-91-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-91-2017-दस-3, दिनांक 30 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कैप्टन अनिल कुमार खरे**, सचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> May 2018

No-F-25-91/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby: -  
 (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block  
 Line between (1) N-21° 56' 25" TO N-21° 56' 46" North Latitude and E-75° 00' 14" TO E-75° 01' 12" East Longitude  
 (2) N-21° 55' 40" TO N-21° 56' 07" North Latitude and E-75° 00' 20" TO E-75° 00' 40" East Longitude  
 (3) N-21° 55' 52" TO N-21° 56' 12" North Latitude and E-74° 59' 15" TO E-74° 59' 48" East Longitude  
 specified in the.

(B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - BARWANI  
 Tehsil - BARWANI

Forest Division - BARWANI  
 Forest Range - BARWANI

NO	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number & Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	Gothaniya "A"	22	Gothaniya/ PF Block Gothaniya "A"- Compartment no. P-330	5	257	10.000	The mountain	D-563-656-X-3-2004/ Dated 9-3-2004	10	North- Pillar No. 1 to 7, Boundaries of Village Bhami. East- Pillar No. 7 to 8, Boundary of Kh. No. 268 South- Pillar No. 8 to 28, Boundary of Khasra no. 259, 257, 258, 247, 245, 244, 243, 241, 242 & Rem. Part of Khasra No. 156/1 West- Pillar No. 28 to 31 & 1, Boundary of Village Sajwanikham
	Gothaniya "B"	22	Gothaniya/ PF Block	-	156/1	31.742	The mountain		26-3-2004	North- Pillar No. 1 to 11, Boundaries of Kh. No 201, 206 & 220.
					Total	41.742				
					197/1	20.247				

118

	Gothaniya "B"- Compartment no. P-331				Dated 9-3-2004	East- Pillar No. 11 to 14, Boundary of Kh. No. 197/2 South- Pillar No. 14 to 25, Boundary of Khasra no. 194,195,196 & Rem. Part of Khasra No. 197/1 West- Pillar No. 25 & 1, Boundary of Kh. No. 199
	Total	20.247				
Gothaniya "C"	22 Gothaniya/ PF Block Gothaniya "C"- Compartment no. -P-332	3 22.645	The mountain	D-563-656-X- 3-2004/ Dated 9-3-2004	26-3-2004	North- Pillar No. 1 to 9, Boundaries of Kh. No 4,5,6 and Nala 220 (Khasra no. 242) East- Pillar No. 9 to 15, Boundary of Kh. No. 7 & 12 South- Pillar No. 15 to 29, Boundary of Khasra no.112,111,12,13,14,15, 16,17,18. West- Pillar No. 29 to 30&1, Boundary of Comp No. 1035. (Internal Limits) OF BLOCK-I North- Pillar No. 1 to 3, Boundary of Kh. No 3 East- Pillar No. 3 to 7 Boundary of Kh. No 3 South- Pillar No. 7 to 9, Boundary of Kh. No 3 West- Pillar No. 9 to 11&1 Boundary of Kh. No 3
	Total	22.645				
	Grand Total	84.634				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

## भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

कमांक-एफ-25-128/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (कमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखंड N 21°58'40.640" से N 21°59'2.658" उत्तर अक्षांश व E 78°39'24.326" से E 78°39'46.900" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा

तहसील- मोहखेड़

वनमंडल- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

वनपरिक्षेत्र- सांवरी

अ.क.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्द	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	मेहलारी 'ब'	मेहलारी बाकुल	बड़े झाड़ का जंगल	140/1	25.00	उत्तर - संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 11 से मुनारा कमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा पूर्व - संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 1 से मुनारा कमांक 5 तक की कृत्रिम वन सीमा दक्षिण - संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 5 से मुनारा कमांक 6 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चिम - संरक्षित वनखंड के मुनारा कमांक 6 से मुनारा कमांक 11 तक की कृत्रिम वन सीमा
				योग	25.00	



(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08/2007-FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म0प्र0 स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की स्वीकृत परियोजना अमलिया नार्थ कोल ब्लॉक में प्रभावित 728.750 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत) कुल 328.935 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.00 हेक्टेयर (बड़े झाड़ के जंगल मद) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 18/अ-19(3)/2015-16 दिनांक 13.01.2016 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण — निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मोहरखेड़ जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है —

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. एफ-25-128-2017-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-128-2017-दस-3, दिनांक 30 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> May 2018

No.-F-25-128/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927,(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N-21°58'40.640" to N-21°59'2.658" North Latitude and E-78°39'24.326" to E-78°39'46.900" East Longitude.

**SCHEDULE**

District :-Chhindwara

Forest Division:-West division chhindwara

Tahsil :- Mohkhed

Forest Range:- Saori

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Mehlari 'B'	Mehlari	Bade Jhad ka Jungle	140/1	25.00	North - Artificial forest boundary from Piller No 11 to Piller No 1 of protected forest block.
						East - Artificial forest boundary from Piller No 1 to Piller No 5 of protected forest block.
						South - Artificial forest boundary from Piller No 5 to Piller No 6 of protected forest block.
						West - Artificial forest boundary from Piller No 6 to Piller No 11 of protected forest block.
				Total	25.00	

**(A) Reason for publication of Notification:-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt of India's order No. 8-08/2007-FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Mining Corporation the above mentioned Non Forest Land 25.00 hectare (Bade Jhad Ka Jungle) transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No 18/A&19(3)/2015-16 dated 13.01.2016 Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Mohkhed District Chhindwara are as under :-

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Communities Rights:- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

कमांक-एफ-25-131/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (कमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें,के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखंड N 21°54'35.701" से N 21°55'4.739" उत्तर अक्षांश व E 78°34'19.448" से E 78°35'9.498" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा

तहसील- मोहखेड़

वनमंडल- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

वनपरिक्षेत्र- सांवर

अ.क.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्द	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	भैनीखापा	भैनीखापा	बड़े झाड़ का जंगल	17	47.728	उत्तर - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 464 से मुनारा कमांक 270 तक की कृत्रिम वन सीमा पूर्व - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 270 से मुनारा कमांक 272 तक की कृत्रिम वन सीमा दक्षिण - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 272 से मुनारा कमांक 457 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चिम - संरक्षित वन खंड के मुनारा कमांक 457 से मुनारा कमांक 464 तक की कृत्रिम वन सीमा
				योग	47.728	

0

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-08/2007-FC दिनांक 30-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म0प्र0 स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की स्वीकृत परियोजना अमलिया नार्थ कोल ब्लॉक में प्रभावित 728.750 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त (पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत) कुल 328.935 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 47.728 हेक्टेयर (बड़े झाड़ के जंगल मद) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 140/अ-19(3)/2014 -15 दिनांक 30.05.2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण — निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मोहरखेड़ जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है —

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. एफ-25-131-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-131-2017-दस-3, दिनांक 30 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> May 2018

No.-F-25-131/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927,(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N-21°54'37.701" to N-21°55'4.739" North Latitude and E-78°34'19.448" to E-78°35'9.498" East Longitude.

**SCHEDULE**

District :-Chhindwara  
Forest Division:-West division chhindwara

Tahsil :- Mohkhed  
Forest Range:- Saori

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Manikhapa	Manikhapa	Bade Jhad ka Jungle	17	47.728	North - Artificial forest boundary from Piller No 464 to Piller No 270 Protected Forest Block
						East - Artificial forest boundary from Piller No 270 to Piller No 272 Protected Forest Block
						South - Artificial forest boundary from Piller No 272 to Piller No 457 Protected Forest Block
						West - Artificial forest boundary from Piller No 457 to Piller No 464 Protected Forest Block
				Total	47.728	

**(A) Reason for publication of Notification:-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt of India's order No. 8-08/2007-FC dated 30.11.2012 and in lieu of 728.750 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Amaliya North Coal Block of Madhya Pradesh State Minning Corporation the above mentioned Non Forest Land 47.728 hectare (Bade Jhad Ka Jungle) transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 140/A&19(3)/2014-15 dated 30.05.2015 Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil.

3. (B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Mohkhed District Chhindwara are as under :-

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Communities Rights:- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2018

क्रमांक/एफ 15-03/2018/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

### अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	देवास	उदयनगर	कावड़िया पहाड़ (पोटला)	आरक्षित वन-602	25.00	पूर्व- कक्ष क्रमांक 602 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 602 उत्तर- कक्ष क्रमांक 602 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 603

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2018

क्र. एफ-15-03-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-03-2018-दस-2, दिनांक 2 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 2<sup>nd</sup> June 2018

No./F 15-03/2018/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

**Schedule**

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Dewas	Udaynagar	Kawadiya Pahad (Potla)	RF- 602	25.00	<b>East- Compartment</b> no. 602 <b>West- Compartment</b> no. 602 <b>North- Compartment</b> no. 602 <b>South-Compartment</b> no. 603

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.



भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्रमांक/एफ 15-04/2018/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

### अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमार्ये
1.	अलीराजपुर	कट्ठीवाडा	झोलिया झरना	आरक्षित वन-486	0.80	पूर्व- कक्ष क्रमांक 485 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 486 उत्तर- कक्ष क्रमांक 486 दक्षिण- ग्राम अम्बार की सीमा
2.		कट्ठीवाडा	चाल्टयापानी	आरक्षित वन-525	0.90	पूर्व- कक्ष क्रमांक 525 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 523 उत्तर- कक्ष क्रमांक 525 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 525

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. एफ-15-04-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-04-2018-दस-2, दिनांक 1 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 1<sup>st</sup> May 2018

No./F 15-04/2018/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

**Schedule**

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Alirajpur	Kathiwada	Jholiya Jharna	RF- 486	0.80	East- Compartment no. 485 West- Compartment no. 486 North- Compartment no. 486 South-Boundary of Village Ambar
2.		Kathiwada	Chaltyapan i	RF- 525	0.90	East- Compartment no. 525 West- Compartment no. 523 North- Compartment no. 525 South- Compartment no. 525

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्रमांक/एफ 15-05/2018/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

### अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	डिण्डौरी	करजिया पूर्व	खुरखुरीदादर	आरक्षित वन-835	9.00	पूर्व- कक्ष क्रमांक 835 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 835 उत्तर- कक्ष क्रमांक 835 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 835

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. एफ-15-05-2018-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-05-2018-दस-2, दिनांक 1 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 1<sup>st</sup> June 2018

No./F 15-05/2018/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

**Schedule**

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Dindori	Karanjia East	Khurhuridar	RF- 835	9.00	<b>East- Compartment</b> no. 835 <b>West- Compartment</b> no. 835 <b>North- Compartment</b> no. 835 <b>South-Compartment</b> no.835

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 मई 2018

क्र. 3869-भू-अर्जन-2018.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ब्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम धुरला के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.में.
1	2	3
1	धुरला (निजी भूमि)	7.572

#### अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना" के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
<b>ग्राम धुरला</b>				
1	गंगाराम पिता खीमा जी जाति दांगी नि.ग्रा.भू	2/4	2.290	0.696
2	रमेशचंद्र पिता राम चन्द्रर जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू	28/1/1	0.569	0.177
3	कैलाश चन्द्र पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण	28/1/2	0.569	0.120
4	गोपाल पिता सुन्दरलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू	28/2	0.361	0.141
5	आशुतोष प्रहलाद भविष्य पिता केदार दांगी भगवती बाई पति केदार जाति दांगी नि.ग्रा.भू	336	0.759	0.021
6	संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्रा.भूस्वामी	29	1.505	0.427
7	शुभम पिता संतोष, मन्जू पति संतोष कुमार जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू	39	0.696	0.329

1	2	3	4	5
8	भंवरी बाई पुत्री चंदर लाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	331 /	1.379 /	0.073 /
9	संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	40 /	2.416 /	0.748 /
10	संतोष कुमार पिता द्वारका प्रसाद ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	41 /	2.403 /	0.709 /
11	कैलाश नारायण, भंवरलाल नाराणबाई बैवा भंवरलाल जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	36/1 /	0.282 /	0.028 /
12	शीलाबाई पति महेश जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	36/2 /	0.282 /	0.054 /
13	केशरसिंह पिता छगन जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	36/3 /	0.281 /	0.200 /
14	केशरसिंह पिता छगन जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	36/4 /	0.281 /	0.200 /
15	गंगाधर पिता गिरधारी जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	38 /	1.126 /	0.339 /
16	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	37/2 /	0.089 /	0.019 /
17	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	231/4/2 /	1.163 /	0.098 /
18	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	231/6 /	0.126 /	0.025 /
19	ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगी लाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	318/2 /	0.329 /	0.021 /
20	सोमप्रकाश पिता ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	328/1 /	1.973 /	0.025 /
21	गौरव पिता अरविंद कुमार जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	328/2 /	1.973 /	0.025 /
22	अरविन्द कुमार पिता द्वारकाप्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	340/1/1 /	1.897 /	0.450 /
23	ओमप्रकाश पिता द्वारका प्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	340/1/2 /	1.898 /	0.500 /
24	श्री लाल आ देवा जी दांगी	340/2 /	0.421 /	0.150 /
25	विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	340/3 /	0.422 /	0.150 /
26	प्रभुलाल पिता देवा जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	340/4 /	0.885 /	0.025 /
27	कलाबाई पुत्री प्रभुलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	338 /	0.543 /	0.363 /
28	हरिप्रसाद पिता मांगीलाल जाति ब्राह्मण	337 /	0.543 /	0.362 /
29	केशरसिंह, देवचंद पिता छगनलाल हि. 78 पैसे. नारान पिता छगनलाल हि. 20 पैसे जाति बलाई, अरुण पिता हरीप्रसाद हि. 2 पैसे जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.भू.	323/1 /	0.063 /	0.039 /
30	मानसिंह पिता रतन लाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	323/2 /	0.076 /	0.050 /
31	मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	323/3 /	0.076 /	0.050 /
32	भंवरलाल पिता छगन बलाई जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	325/1/1 /	0.114 /	0.013 /

1	2	3	4	5
33	मानसिंह पिता रतनलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी.	325/4	0.169	0.013
34	पून्या पिता बापूलाल जाति बलाई नि.ग्रा.भू.	341	0.114	0.086
35	रामनारायण, रामचरण पिता बालाबक्ष हि. 66 पैसे. मांगीलाल,कमलसिंह पिता लक्ष्मण, बादामबाई बैवा लक्ष्मण हि. 34 पैसे जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	313/1	0.152	0.082
36	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.	312	0.607	0.006
37	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कलाल नि.ग्रा.भू.	314	0.190	0.043
38	प्रभुलाल आ किशन लाल कलाल	317/1	0.987	0.363
39	रामेश्वर पिता मानसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	68	0.139	0.004
40	रामनारायण, रामचरण पिता बालाबक्ष हि. 66 पैसे. मांगीलाल,कमलसिंह पिता लक्ष्मण, बादामबाई बैवा लक्ष्मण हि. 34 पैसे जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	313/2	0.569	0.344
41	हरिशंकर ,जगदीश ,गोकल,कैलाशनारायण, बेजनाथ ,अमृतलाल पिता लक्ष्मीनारायण ,रामकुंवर बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण मु. कंचनबाई बैवा लक्ष्मीनारायण दांगी नि.ग्रा.भू.	2/2	2.290	0.004
योग:—ग्राम धुरला			33.007	7.572

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 3870-भू-अर्जन-2018.—

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्भवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची(1)

ग्राम चैनपुराकलां		तहसील नरसिंहगढ़	
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०	
		कुल भूमि का रकबा	प्रभावित रकबा
निजी	भूमि	21.706	7.125 हे०

#### अनुसूची (2)

स०क०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित रकबा
1	धीसालाल पिता जगन्नाथ अहीर	5/1/3	0.225	0.101
2	ग्यारसी राम पिता देवीराम अहीर	6/1	0.979	0.291
3	प्रभुलाल पिता देवीराम अहीर	6/2	1.223	0.569
4	फूल सिंह पिता देवीराम अहीर	6/3/1/1	0.846	0.455
5	कमल सिंह पिता नानक राम अहीर	6/3/1/2	0.126	0.040
		6/3/2	0.253	0.060
6	सुरेश चंद पिता अमरा अहीर	7	1.012	0.300
7	शिवलाल पिता अमरा अहीर	8/2	1.549	0.060



8	धनसिंह पिता भागचंद	12	0.316	0.060
9	धनसिंह पिता भागचंद	13/1	0.089	0.070
10	कमल सिंह धनसिंह रेशम बाई पिता भागचंद शेतान बाई बेवा भागचंद अहीर	13/2	0.759	0.485
11	शांति बाई बेवा जगन्नाथ अहीर	15	0.063	0.013
		17/5	0.338	0.140
12	रंग लाल पिता गनपत लाल कंचन बाई बेवा गनपत लाल अहीर	16/2	0.379	0.170
13	रंग लाल पिता गनपत लाल	42/1	0.421	0.270
14	प्रकाशचंद पिता जगन्नाथ अहीर	42/2	0.422	0.145
15	जीवन पिता देवा अहीर	42/3/1	0.263	0.035
	जीवन पिता देवा अहीर	17/6/1	0.137	0.089
	जीवन पिता देवा अहीर	17/6/2	0.137	0.089
	जीवन पिता देवा अहीर	18/1	0.032	0.010
	जीवन पिता देवा अहीर	18/2	0.031	0.010
16	लीला बाई बेवा कैलाश नारायण अहीर	17/4	0.337	0.140
17	बापूलाल पिता मोहन लाल अहीर	19/1	1.327	0.440

18	भैरव सिंह पिता मोहन लाल अहीर	19/2	1.455	0.440
19	हीरालाल पिता श्री राम अहीर	22	3.161	1.150
	हीरालाल पिता श्री राम अहीर	24	2.061	0.150
20	कालू राम मांगीलाल गंगा राम पिता राम चंद राडी बाई बेवा रामचंद अहीर	27	0.974	0.650
21	हजारीलाल पिता हर लाल अहीर	28	0.822	0.253
22	सुशीला बाई पति बद्री लाल अहीर	29	0.873	0.350
23	रंगलाल पिता घीसालाल अहीर	5/1/2	1.096	0.090
	<b>योग कुल किता</b>	<b>23</b>	<b>21.706</b>	<b>7.125</b>

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

क्र. 4074-भू-अर्जन-2018.—

कमांक/...../भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक...../अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में ब्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम लसुडलीमहाराजा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची-(1)

ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि

कमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.मै.
1	2	3
1	लसुडलीमहाराजा (निजी भूमि)	15.450

## अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	विष्णुप्रसाद गोपाल पिता अमरसिंह नाराणीबाई बैव अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	332/1 ✓	1.313	0.500
2	रामप्रसाद पि. मांगीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	330/1/8 ✓	0.506	0.250
		330/1/10 ✓	0.153	0.100
3	गुलाबचंद विष्णु पिता मोतीलाल गीताबाई बैवा मोतीलाल लक्ष्मीनारायण पिता खेमचंद जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	392/13/2 ✓	0.189	0.050
4	गोरधन पि मोतीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	544/1/1 ✓	0.108	0.030
5	कैलाशनारायण पि. हजारीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	562/2 ✓	1.345	0.270
6	मदनलाल आ. सेवाजी दांगी नि.ग्रा.भू.	542/2 ✓	2.276	0.800
		270/1/3 ✓	1.235	0.105
7	किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	544/2 ✓	0.645	0.250
		564/1/1 ✓	0.455	0.195
8	गोपाल पिता दालतराम जाति दांगी नि ग्रा भू	564/2/4 ✓	0.297	0.090
9	हैमराज पिता दालतराम जाति दांगी नि ग्रा भू	564/2/5 ✓	0.297	0.030
10	अर्जुन पि. मोतीलाल जाति दांगी नि ग्रा सेवा खातेदार	330/1/6 ✓	0.506	0.270
		330/1/11 ✓	0.153	0.120
		330/1/12 ✓	0.253	0.050
		330/4/3 ✓	0.152	0.005
11	भागीरथ पि.गोपीलाल दांगी नि. ग्रा. भू.	330/2/2 ✓	0.380	0.350
12	रामप्रसाद पि. मांगीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	330/4/2 ✓	0.253	0.030
13	अमृत लाल पि. किशन लाल दांगी नि ग्रा भू	343/1/5 ✓	0.253	0.200
14	प्रेम पि. मोहन लाल दांगी नि.ग्रा.भू.	345/3/3/1 ✓	1.112	0.830
15	जगदीश पि. रामनारायण दांगी नि.ग्रा.भू.	344/1/1 ✓	0.362	0.190
16	गोपाल पि. रामनारायण दांगी नि.ग्रा.भू.	344/1/3 ✓	0.362	0.280
17	भंवरसिंह उर्फ विनोद पि. रामप्रसाद सुतार नि ग्रा भू	392/6 ✓	0.253	0.253

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
18	रामलाल पि. देवाजी दांगी नि.ग्रा.भू.	543/3 ✓	0.225	0.160
19	जगदीश पि. बन्नीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	561/1 ✓	1.296	0.004
20	गोपाल पि. केदार सुमित्रा बाई पत्नि केदार दांगी नि.ग्रा.भू.	562/1 ✓	1.500	0.560
		563/1/2 ✓	2.228	0.035
21	जगदीश पि. मांगीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	570/1 ✓	0.450	0.300
22	राम बाबू पि. मांगीलाल दांगी नि.ग्रा.भू.	570/2 ✓	0.450	0.300
23	श्रीलाल पि देवाजी दांगी नि.ग्रा.भू.	332/2 ✓	1.314	0.280
24	राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि या भू	343/1/4 ✓	0.316	0.260
		345/3/2 ✓	0.848	0.150
25	अमृतलाल पिता किशनलाल जाति दांगी नि या भू	345/3/3/2 ✓	0.253	0.090
26	हीरालाल आ मदनलाल जाति दांगी नि या भू	342/2 ✓	0.519	0.270
		343/1/7 ✓	0.550	0.270
27	रमेश पिता रामनारायण जाति दांगी नि या भू	344/1/2 ✓	0.362	0.110
28	गोपाल पिता रामनारायण जाति दांगी नि या भू	345/4/1/3 ✓	0.290	0.065
29	मांगीलाल पिता सालगराम जाति दांगी नि या भू	344/2 ✓	0.354	0.220
30	नरसगलाल पिता रामा जाति दांगी नि या भू	392/5/2 ✓	0.759	0.450
31	देवराज पिता चतरूलाल भवरी बाई बैवा चतरूलाल गायत्री बैवा रामचरण नाबा. अभिषेक संदीप पिता रामचरण सर. माता गायत्री बाई जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	392/5/1 ✓	0.759	0.410
32	गंगाधर पिता पिता मांगीलाल जाति दांगी नि या भू	392/13/1/1 ✓	0.048	0.040
33	जगन्नाथ पिता मांगीलाल जाति दांगी नि या भू	392/13/1/2 ✓	0.047	0.035
34	रामबगस हीरालाल गंगाधर जगन्नाथ ब्रदीलाल पुत्र मांगीलाल गीताबाई देवबाई काशीबाई पुत्री मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.	394/4 ✓	0.759	0.550
35	हरलाल पिता जगन्नाथ दांगी नि या भू	411/1 ✓	0.044	0.044
36	रामनारायण पिता जगन्नाथ दांगी नि या भू	393/2 ✓	0.822	0.130
		411/2 ✓	0.045	0.045
37	देवबक्ष पिता भीमा दांगी नि या भू	414/1 ✓	0.253	0.230
38	कैलाश पिता रामरतन देवबाई बैवा रामरतन बन्नी अमृत राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि या भू	414/3 ✓	1.265	0.480
39	नाथूलाल पिता ढोला जाति दांगी नि या भू	413/1 ✓	0.067	0.020
40	मदनलाल पिता घांसालाल दांगी सुगनाबाई बैवा घांसा नि या भू	401 ✓	0.329	0.115
41	बन्नीलाल रमेश कोमलप्रसाद ओमप्रकाश हरिनारायण पिता लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण नि या भू	402/1/1 ✓	1.314	0.840
42	रामनारायण पिता मोतीलाल जाति दांगी	544/1/2 ✓	0.107	0.070
43	कन्हैयालाल पिता मोतीलाल जाति दांगी नि या भू	290/2/1/3 ✓	0.273	0.005
44	गोपाल पिता दौलतराम दांगी नि या भू	290/2/1/4 ✓	0.413	0.260
		544/1/4 ✓	0.162	0.140
45	हेमराज पिता दौलतराम दांगी नि या भू	290/2/1/5 ✓	0.412	0.180
		544/1/5 ✓	0.161	0.161
46	राधेश्याम पिता मदनलाल जाति दांगी नि या भू	564/1/2 ✓	0.733	0.600
47	बन्नीलाल पिता धूरीलाल जाति दांगी नि या भू	543/2 ✓	0.224	0.204

क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम जाति ग्राम	सर्वे नं.	कुल भूमि रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
48	कैलाश जगदीश रामचरण पिता बापूलाल अनारबाई बैवा बापूलाल जाति दांगी नि ग्रा भू	543/1 ✓	0.224	0.070
49	बशीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि ग्रा भू	561/2 ✓	1.296	0.810
50	सुरेश पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि ग्रा भू	563/1/1/2 ✓	1.990	0.350
51	मदनलाल पिता देवा मोतीलाल दालतराम देवलाल पिता मांगीलाल बापूलाल पिता देवा जाति दांगी नि ग्रा भू	560 ✓	1.240	0.045
52	भगीरथ पिता देवा जाति दांगी नि ग्रा भू	572 ✓	0.430	0.280
		640/573 ✓	0.152	0.012
53	मेवा बाई पति भवरलाल बादामबाई पति रामरतन जाति दांगी नि ग्रा भू	573/2 ✓	0.202	0.162
		574 ✓	0.607	0.050
54	बद्रीलाल पिता मोतीलाल हि. 44 पै. जाति सुतार मदनलाल पिता सेवा जाति दांगी हि. 9 पै. भंवरसिंह पिता रामप्रसाद हि. 16 पै. जाति सुतार प्रेमनारायण विष्णु रामबाबू पिता हीरालाल, धापू बैवा हीरालाल हि. 9 पै. हजारीलाल पिता रामचरण हि. 5 पै. रामचरण पिता देवीलाल हि. 17 पै. जाति दांगी नि.ग्रा.भूस्वामी	571 ✓	0.417	0.045
55	मेवाबाई पति भंवरलाल बादामबाई पति रामरतन जाति दांगी नि ग्रा भू.	573/3 ✓	0.379	0.205
56	विष्णुप्रसाद गोपाल पिता अमरसिंह नाराणीबाई बैवा अमरसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.	330/3 ✓	0.506	0.090
योग:-		कुलकिता 70	40.252	15.450

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला खण्डवा मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 25 मई 2018

क्र. 19-2018-एलए-रा.प्र.क्र. 0013-अ-82-2017-18-रोहनाई.—

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा की पलासी तालाब योजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्राम रोहनाई के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू स्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका-11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, पटवारी हल्का नं. 15, ग्राम रोहनाई राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन।  
प्रभावित रकबा :- 0.56 हेक्टेयर

स. क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जानकीबाई बेवा नंदू	59	0.52	0.01	0.01	0.00	निरंक
2	तोताराम पिता निहाला	58	0.16	0.02	0.02	0.00	निरंक
		57	0.15	0.03	0.03	0.00	निरंक
3	मंगत्या पिता कालू	49	1.24	0.08	0.08	0.00	निरंक
4	बसुंवाई बेवा मकुन्द	19	1.16	0.07	0.07	0.00	निरंक
5	मांगीलाल पिता सीताराम	18	0.10	0.05	0.00	0.05	निरंक
		02	3.88	0.30	0.30	0.00	निरंक

क्र. 03-2018-एलए-रा.प्र.क्र. 0012-ए-82-2017-18-सिरा.—

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा की पलासी तालाब योजना के डूब से प्रभावित ग्राम सिरा में पहुँच मार्ग दिये जाने हेतु ग्राम सिरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू स्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका-11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

**आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण**

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, पटवारी हल्का नं. 17, ग्राम सिरा राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन।  
प्रभावित रकबा :- 0.18 हेक्टेयर

स. क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शांताबाई पति फूलचंद, भागीरथ पिता फूलचंद, मीराबाई, मायाबाई पुत्री फूलचंद निवासी ग्राम रोहनाई	10	1.82	0.11	0.00	0.11	निरंक
2	भागीरथ पिता फूलचंद निवासी ग्राम रोहनाई	11	4.87	0.05	0.05	0.00	निरंक
3	हीरालाल पिता मल्लू, निवासी ग्राम रोहनाई	12	1.59	0.02	0.02	0.00	निरंक

क्र. 20-2018-एलए-रा.प्र.क्र. 0015-अ-82-2017-18-चिचगोहन.—

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा की पलासी तालाब योजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्राम चिचगोहन के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू स्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका-11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

### आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, पटवारी हल्का नं. 13, ग्राम चिचगोहन राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन। प्रभावित रकबा :- 4.52 हेक्टेयर

स. क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोतीराम पिता सीताराम	951	0.21	0.08	0.00	0.08	निरंक
		952	0.45	0.05	0.00	0.05	निरंक
2	हीरालाल पिता अमराजी	949	0.18	0.01	0.00	0.01	निरंक
		948	0.44	0.20	0.20	0.00	निरंक
		947	0.37	0.05	0.05	0.00	निरंक
3	हीरालाल पिता धन्जी	974	0.65	0.08	0.08	0.00	निरंक



स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
		960/2	0.35	0.02	0.02	0.00	निरंक
4	पन्नालाल पिता धन्जी	980/1	0.33	0.01	0.01	0.00	निरंक
		981	0.47	0.06	0.06	0.00	निरंक
5	रामप्यारीबाई विधवा बलीराम, आमप्रकाश, घनश्याम पिता बलीराम, कंचन, अनीता पुत्री बलीराम, सुमनबाई पुत्री बिहारी निवासी रोहनाई	973	3.19	0.18	0.18	0.00	निरंक
6	शिवलाल पिता कालू, सलताई पुत्री कालू	982	0.56	0.15	0.15	0.00	निरंक
7	शांताबाई, लालू, धमेन्द्र पिता लालू, किरणबाई, चिडईबाई पुत्री लालू, छितर, शंकर पिता नत्थू, गंगाबाई, सुमनबाई पुत्री नत्थू, छितरबाई बेवा श्यामू, धापईबाई पुत्री नत्थू	972	0.53	0.05	0.00	0.05	निरंक
8	शांताबाई विधवा चुन्नीलाल, हुकुमचंद पिता चुन्नीलाल	984/2	0.57	0.06	0.06	0.00	निरंक
9	भीकाजी पिता भाईराम	1001/2	2.60	0.14	0.14	0.00	निरंक
10	उमाबाई बेवा सुरेन्द्र	1000	2.48	0.08	0.08	0.00	निरंक
11	शांताबाई बेवा लालू, किरण, कविता पिता लालू ना. बाली शांताबाई, धमेन्द्र पिता लालू ना. बली शांताबाई, छितर पिता नत्थू ना. बली पुनईबाई बेवा नत्थू	998	0.60	0.09	0.09	0.00	निरंक
12	धन्जी पिता देवाजी	1166 /2	2.28	0.10	0.10	0.00	निरंक
		736	0.43	0.07	0.00	0.07	निरंक
13	मुरारी, नारायण पिता माधव	1168/2	0.50	0.10	0.10	0.00	निरंक
14	मोहन पिता भाईराम	1169	0.80	0.04	0.04	0.00	निरंक
		1170	0.87	0.01	0.01	0.00	निरंक
15	गायत्रीबाई पति सतीश	1171	1.94	0.05	0.05	0.00	निरंक
16	राजाराम पिता रतनलाल	1172	1.91	0.06	0.06	0.00	निरंक
17	कमलाबाई पति राजाराम	1173	1.84	0.06	0.06	0.00	निरंक

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
18	शांताबाई-- देवाजी	1174	0.53	0.02	0.03	0.00	निरंक
19	कुंजीलाल पिता मांगीलाल	1202	1.00	0.04	0.04	0.00	निरंक
20	रामलाल पिता बाबू	1203/1	0.48	0.08	0.08	0.00	निरंक
		1219/1	0.46	0.02	0.02	0.00	निरंक
21	बलीराम पिता मोजीलाल	1206/5	0.80	0.06	0.06	0.00	निरंक
22	शिवचरण, माणकचंद पिता शंकरलाल, कस्तूरीबाई, गीताबाई पुत्री रामकरण	1222/1	0.21	0.08	0.08	0.00	निरंक
23	माणकचंद पिता शंकरलाल	1222/2	1.00	0.08	0.08	0.00	निरंक
24	श्रीराम पिता धन्नालाल	1262	0.06	0.02	0.00	0.02	निरंक
		1263	0.51	0.10	0.10	0.00	निरंक
25	गेंदालाल, राधेश्याम, त्रिलोकचंद पिता बाबूलाल	1294	0.05	0.04	0.00	0.04	निरंक
26	नरेन्द्रसिंह पिता नत्थसिंह, रघुनाथसिंह, सरदारसिंह, खुमानसिंह पिता गोपाल, रूखड़सिंह पिता मनोहर, नत्थसिंह पिता चंदरसिंह	1300	0.05	0.03	0.00	0.03	निरंक
27	हीरुबाई पति रामलाल	1302/1	0.04	0.01	0.00	0.01	निरंक
28	रामकृष्ण, राधेकृष्ण पिता हरराम	1289/1	0.89	0.01	0.01	0.00	निरंक
29	शिवचरण पिता कडवा	1287/1	1.49	0.07	0.07	0.00	निरंक
30	दयाराम पिता मोतीराम	1339/1	1.27	0.05	0.05	0.00	निरंक
31	अजुध्या बेवा हरीकरण, मिश्रीलाल, डिग्रीलाल, राधेश्याम, प्रभुलाल पिता हरीकरण, शांताबाई, सेवती, कमलाबाई, लक्ष्मीबाई, कुसुम पुत्री हरीकरण	1336	4.62	0.20	0.20	0.00	निरंक
32	राजेश पिता हीरालाल	1337	1.69	0.06	0.06	0.00	निरंक
33	धन्नालाल पिता छज्जूलाल	1338	1.52	0.11	0.11	0.00	निरंक
34	भैयालाल पिता मांगीलाल, भगवान जी पिता बलीराम, राधेश्याम पिता हरीकरण, रामलाल पिता तुकाराम	1112	1.25	0.05	0.00	0.05	निरंक

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम, पितृ का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में.	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में.	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
35	राजेश पिता छज्जूलाल	734	2.66	0.07	0.07	0.00	निरंक
36	ताराबाई बेवा अनोखीलाल	727	1.80	0.08	0.08	0.00	निरंक
		729	1.98	0.25	0.25	0.00	निरंक
37	अनोखीलाल पिता घासीराम, अशोक, महेश, शैलेन्द्र पिता अनोखीलाल, गायत्रीबाई, ममताबाई पुत्री अनोखीलाल	728	0.72	0.08	0.08	0.00	निरंक
38	गोपाल पिता भीकाजी	731	0.68	0.09	0.09	0.00	निरंक
39	कमलसिंह, रायसिंह, लालसिंह, भगवंतसिंह, रमेशसिंह पिता रतन	721	3.35	0.02	0.02	0.00	निरंक
		757	0.04	0.02	0.00	0.02	निरंक
40	कलाबाई बेवा तोताराम	677	1.76	0.15	0.15	0.00	निरंक
41	बसंतीबाई विधवा धन्नालाल	681	1.09	0.01	0.01	0.00	निरंक
42	बसंतीबाई बेवा रतन, रमेश पिता रतन, राधाबाई, शकुनबाई पुत्री रतन, शिवराम पिता नारायण	678	1.20	0.19	0.19	0.00	निरंक
43	भगवान जी पिता बलीराम	660/2	1.32	0.10	0.10	0.00	निरंक
		658/1	1.30	0.07	0.07	0.00	निरंक
		658/2	1.15	0.16	0.16	0.00	निरंक
		657	1.30	0.15	0.15	0.00	निरंक
44	लीलाबाई, मायाबाई, नन्नीबाई पुत्री मांगीलाल	745/2	0.04	0.01	0.00	0.01	निरंक
45	त्रिलोकचंद्र पिता गोकुल, घनश्याम, महेश पिता गोकुल, सुशीला, किरण पिता गोकुल	745/3	0.03	0.01	0.00	0.01	निरंक
46	हुकुम पिता मोजीलाल	745/4	0.02	0.01	0.00	0.01	निरंक
47	केशव पिता तोताराम	1223/1	0.08	0.04	0.00	0.04	निरंक
48	पार्वतीबाई पति लक्ष्मीनारायण	1223/3	1.21	0.07	0.07	0.00	निरंक

विशेष गढ़पाले, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 1 जून 2018

क्र. 1769-भू-अर्जन-2018.—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन पलाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची सूची क्रमांक-1

ग्राम पथरौटा	तहसील-इटारसी	जिला होशंगाबाद	
क्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकवा	अर्जित रकवा
	निजी भूमि पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन परियोजना हेतु	34.852	8.890
	योग	34.852	8.890 हे०

अनुसूची क्रमांक-2

(1) ग्राम पथरौटा

क्र०	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	जमुना प्रसाद सुखलाल जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	238/3 239/2	0.993	0.002	
2	शोभा पत्नि कैलाशचंद, वर्षा पत्नि अतुल जाति अग्रवाल पता सा.वार्ड नं० 25 लक्कडगंज इटारसी भूमिस्वामी परिवर्तित भूमि	234	0.785	0.677	
3	भारत प्री लेम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड संचालक विवेक महेश्वरी आ० नवनीत लाल महेश्वरी परिवर्तित भूमि	235/1 235/3 235/2	3.284	0.712	वृक्ष-नीलगिरी-10 पेड, सागौन-25 पेड, आम-01 पेड, टीनशेड पुराना 03
4	शोभा पत्नि कैलाशचंद, वर्षा पत्नि अतुल जाति अग्रवाले पता सा.वार्ड नं०25 लक्कडगंज इटारसी भूमिस्वामी	236/3 236/4	0.494 0.445	0.325	वृक्ष-बबूल-10, पीपल पेड-02, पुराने टीनशेड-02

5	परिवर्तित भूमि पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	39	0.745	0.218	वृक्ष-नीलगिरी-42, सागौन-4,
6	परिवर्तित भूमि पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	40 / 1	0.046	0.046	मारुति सर्विस सेन्टर, आफिस व वर्कशाप
7	कृष्णा गुप्ता पत्नि सत्यदेव गुप्ता मनीषा गुप्ता पत्नि राजेश गुप्ता जाति वैश्य पता सा.सूरज इटारसी. भूमिस्वामी	40 / 2 40X105=420 0वर्गफुट	0.040	0.020	वृक्ष-बबूल-10
8	नवीनकमार वल्द बैनीप्रसाद जाति बढई पता निवासी वार्ड नं० 3पु० इटारसी भूमिस्वामी	38	0.065	0.055	वृक्ष-सागौन-04, कंजी-03
9	सरस्वती शिक्षा समिति इटारसी, अध्यक्ष पूनमचंद वल्द रामस्वरूप पटेल जाति कुर्मी पता सा.राजेन्द्रपुरा पुरानी इटारसी भूमिस्वामी परिवर्तित भूमि पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	35 / 1 35 / 2	0.405 0.186	0.459	
10	परिवर्तित भूमि पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी परिवर्तित भूमि पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	31 36	0.263 0.829	0.209	वृक्ष-सागौन-09, नीलगिरी-20 मंदिर चबूतरा-01
11	भागवती पति गयाप्रसाद जाति कुर्मी भूमिस्वामी	32 / 1	0.242	0.016	
12	ताराबाई वेवा बनवारीलाल रामकृष्ण पुत्रगण बनवारीलाल रेखाबाई वेवा संतोष कुमार तरुण वल्द संतोष कुमार तृप्ति पुत्री संतोष कुमार स्नेहलता स्वर्णलता सुमनलता पुत्रियां बनवारीलाल रामकृष्ण वल्द नाथूराम रामरतन वल्द तुलसीराम जगदीश रामोतार रामविलास पुत्रगण श्रीराम विद्या पुत्री श्रीराम ताराबाई चन्द्रकली फूलवती पुत्रियां गयाप्रसाद बृजेश वल्द भगवती प्रसाद, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मनोरमा वेवा अवधेश अंकित वल्द अवधेश अंकिता पुत्री अवधेश, चन्द्रमणि वेवा भगवती प्रसाद आशा ललिता शिवकुमारी उर्मिला वंदना पुत्रियां भगवती प्रसाद त्रिवेणी बाई वेवा कृष्णोतार अजय विजय	30	4.642	0.259	

	पुत्रगण कृष्णोतार श्रीनारायण रमेश कुमार पुत्रगण गौरीशंकर रिखीराम वल्द सीताराम अशोक अजया पुत्रगण अयोध्या प्रसाद मुन्नी शिवकांति पुत्रियां अयोध्या प्रसाद जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी				
13	तेजराम वल्द रामरतन जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	29/8	0.842	0.548	
14	श्रीराम-रामरतन जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	29/2	0.836	0.684	
15	रिखीराम रामरतन जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	29/6	0.846	0.038	
16	भागवती पति गयाप्रसाद जाति कुर्मी भूमिस्वामी	29/1	2.914	0.790	
17	महेन्द्र वल्द शिवनारायण कुसुम वेवा रामकुमार कृष्ण कुमार गौरव पुत्रगण रामकुमार चन्द्रकली पुत्री शिवनारायण	20/1	1.607	0.119	
18	राधेश्याम भगवानदीन जाति कुर्मी पता सा.इटारसी भूमिस्वामी	19/3	0.704	0.384	
19	राजेन्द्र कुमार वल्द रमेशचन्द्र जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	19/2	0.704	0.378	
20	कमलाबाई वेवा फूलचंद, महेशकुमार, कमलेश, दिनेश कुमार राजेशकुमार, उमेशकुमार, प्रदीपकुमार, पुत्रगण फूलचंद, प्रेमलता, भोजकुमारी, सुषमा, अनीता पुत्रियां फूलचंद जाति कुर्मी पता देह भूमिस्वामी	19/1	0.704	0.233	
21	सुरेन्द्रकुमार वल्द राधेश्याम जाति कुर्मी पता सा.इटारसी भूमिस्वामी	18/2	1.132	0.067	
22	बृजेश पिता रमेश बामने शारदा पत्नि बृजेश बामने दुर्गेश पिता रमेश बामने	17/1/2	1.619	0.136	
23	अशोक कुमार वल्द अयोध्या प्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देह	17/1/1	1.160	0.635	
24	दिनेश पिता जयराम कुर्मी	17/6/2	0.202	0.111	
25	राजेश पिता जयराम कुर्मी	17/6/1	0.202	0.111	
26	भुवनेश पिता जयराम कुर्मी	17/6/3	0.203	0.111	

27	अजय कुमार वल्द अयोध्या प्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देह भूमिस्वामी	17/4	0.576	0.222	
28	कलाबाई वेवा भोलेराम रामगोपाल लखनलाल संतोष कुमार पुत्रगण भोलेराम सुलोचना कृष्णाबाई पुत्रियां भोलेराम जाति कुर्मी पता सा.इटारसी भूमिस्वामी	16/1 16/2 16/3	2.209	0.221	
29	अजयकुमार वल्द अयोध्याप्रसाद जाति कुर्मी पता सा. देह भूमिस्वामी	13 शा.नं 14	2.978	1.080	
30	मेनाबाई वि.रामप्रसाद जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	90	2.367	0.020	
31	अंजनीबाई वल्द रामनाथ जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	232/4	0.287	0.004	
	<b>योग-</b>		<b>34.852</b>	<b>8.890</b>	

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1772-भू-अर्जन-2018.—

—: अधिसूचना:—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जसका कृषकवार व सर्वे कर्माकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची सूची क्रमांक-1

ग्राम जुझारपुर	तहसील-इटारसी	जिला होशंगाबाद	
क्र0	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकवा	अर्जित रकवा
	निजी भूमि पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन परियोजना हेतु	31.306	8.191
	योग	31.306	8.191 हे0

अनुसूची क्रमांक-2

(1) ग्राम जुझारपुर

क्र0	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	ब्रजकिशोर रामलाल जाति कुर्मी पता साकिन देह भूमि स्वामी	256/2	0.101	0.013	
2	प्रदीपकुमार बल्द सुन्दरलाल जाति कुर्मी निवासी ग्राम भूमि काबिज नवलकिशोर जाति कुर्मी साकिन देह भूमि स्वामी	256/3	0.106	0.086	
3	सर्वेन्द्र मिश्रीलाल जाति कुर्मी साकिन देह भूमि स्वामी	242/4 257/2	1.740	0.136	
4	शेषर नाबा. अनिल बलि बुआ मधु पत्नि गंगा प्रसाद जाति कुर्मी सामिन देहरी भूमि स्वामी	242/2	0.882	0.463	
5	गीताबाई पत्नि अनिलकुमार साकिन देहरी भूमि स्वामी	242/5/1	0.607	0.214	
6	ज्योति पत्नि राजकुमार	242/5/2	0.405	0.231	
7	गीताबाई पत्नि सुभाषचन्द्र प्रशांतकुमार बल्द सुभाषचंद्र जाति कुर्मी साकिन देहरी भूमि स्वामी	242/1	2.808	0.184	
8	राजेश कुमार बल्द रामअवतार जाति कुर्मी भूमि स्वामी	236/2	0.182	0.054	
9	राजेशकुमार बल्द रामअवतार जाति कुर्मी भूमि स्वामी	236/2	0.024	0.024	



क्र	सूचना	संख्या	मूल्य	प्रतिफल	टिप्पणी
10	राजेशकुमार बल्द रामअवतार जाति कुर्मी भूमि स्वामी	235 -0.441 236/2 -0.182 237/1 -0.619 237/2, -0.809 237/3, -0.381	2.456	0.543	
11	सज्जन बल्द कन्हैयालाल साकिन देह भूमि स्वामी	238/6	2.525	0.589	बोर-01, कुआ-01, वृक्ष-बेर, आम एक-एक
12	दीपककुमार सज्जनकुमार जाति कुर्मी पता साकिन देह भूमि स्वामी	238/4	0.809	0.080	कुआ-01
13	चन्द्रभणि पत्नि शिवशंकर जाति कुर्मी पता साकिन देह भूमि स्वामी	238/3	0.405	0.315	वृक्ष-जामुन एक
14	अरविंद बल्द शिवशंकर जाति कुर्मी पता साकिन देह भूमि स्वामी	238/10	0.236	0.158	
15	अजय बल्द शिवशंकर जाति कुर्मी भूमि स्वामी	238/11	0.237	0.158	
16	बनवारी बल्द छोटेलाल कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी काबिज संतोष कुमार बल्द छोटेलाल	238/2	1.687	0.023	
17	हीरावती वैवा शालिग्राम चन्द्रकिशोर रामसेवक कुन्जबिहारी जितेन्द्रकुमार रामगोपाल पुत्रगण शालिग्राम विमलाबाई वैवा बृजकिशोर रीना मीना पुत्रिया बृजकिशोर राहुल रोहित पुत्रगण बृजकिशोर जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी उमावती वैवा ललित किशोर रूपेश बल्द ललित किशोर आरती भारती पुत्रिया ललित किशोर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू0रा0शा063	239	1.076	0.275	
18	विजयकुमार नागेन्द्रकुमार जाति कुर्मी साकिन देह भूमि स्वामी	207/1/1	1.280	0.312	
19	सुजाता पुत्री नागेन्द्रकुमार जाति कुर्मी साकिन देह भूमि स्वामी	207/1/3	0.101	0.101	
20	सुषमा पत्नि जानि चिमानिया पुत्री नागेन्द्र जाति कुर्मी साकिन पथरोटा	207/1/2	0.121	0.037	
21	राधा पत्नि सुनील मेहतो पुत्री नागेन्द्र जाति कुर्मी साकिन पथरोटा	207/1/4	0.117	0.117	
22	कुलदीपकुमार बल्द राजकुमार जयदेवकुमार बल्द राजकुमार जाति कुर्मी साकिन देह भूमि स्वामी	189/1	2.261	0.130	
23	महेन्द्रकुमार भगवानदास जाति बढई साकिन देह भूमि स्वामी	189/2	2.256	0.491	
24	महेन्द्रकुमार भगवानदास जाति बढई साकिन देह भूमि स्वामी	190	0.599	0.484	
25	महेन्द्रकुमार भगवानदास जाति बढई साकिन देह भूमि स्वामी	191	0.632	0.337	
26	महेन्द्रकुमार भगवानदास जाति बढई साकिन देह भूमि स्वामी	192, 193	1.659	0.448	
27	महेन्द्रकुमार आ0 बद्दलाल जाति बढई साकिन देह भूमि स्वामी	46/3, 47/3, 48/4	1.183	0.150	
28	संतोष कुमार बद्दलाल निवासी ग्राम साकिन देह भूमि स्वामी	46/4, 47/4, 45/5	1.323	0.603	
29	रामदास बल्द झिन्गा जमनाबाई पत्नि रामदास प्रदीप पुत्र रामदास जाति चमार पता साकिन गौंची तरौंदा भूमि स्वामी	44/1, 45/1	0.407	0.241	वृक्ष नीम-01
30	कमलेश पिता रामदास बदाभी पिता रामदास जाति चमार साकिन गौंची तरौंदा भूमि स्वामी	44/2, 45/2	0.389	0.240	

31	गौविंद पिता रामदास दिनेश पिता राम जाति चमार साकिन गौंचीतरोंदा साकिन देह भूमि स्वामी	44/3, 45/3	0.389	0.240	
32	मुकेश पिता रामदास गौरीशंकर पिता रामदास जाति चमार साकिन देह भूमि	44/4, 45/4	0.389	0.240	
33	इन्द्रबाई बाई, सावित्री, सुदामाबाई, शारदाबाई पुष्पाबाई, पुत्रिया शिवप्रसाद महेश गोलू दिनेश, टीकू पुत्रगण फूलचंद महेश, सुरेश पुत्रगण रामनारायण दयाबती पति रामनारायण रेखा पुत्री रामनारायण ओमप्रकाश राजेश, राकेश पुत्रगण हेमराज गीताबाई पति मोहन दीपक संजय पुत्रगण मोहन, ज्योति निकिता पुत्रियां मोहन राधाबाई सीमा पुत्रिया हेमराज, दीपक रजनीश टीकू पुत्रगण रमेश दीपमाला बबीता अनीता अंजू पुत्रिया रमेश राहुल नाबालिग पुत्र रविशंकर बली पिता रविशंकर प्रियंका पुत्रिया रविशंकर दीपक संजय पुत्रगण रामाधार सोनू पुत्री अमरसिंह जाति लौहार सा. देह भूमि स्वामी	43	0.274	0.274	
34	गरीबदास पिता खुशीलाल	42	1.405	0.049	
35	गुलाबबाई देवा खुशीलाल जाति कुर्मी निवासी ग्राम गौंची तरोंदा साकिन देह भूमि स्वामी	36	0.235	0.151	
	<b>योग</b>		<b>31.306</b>	<b>8.191</b>	

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1775-भू-अर्जन-2018.—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची सूची क्रमांक-1**

ग्राम रैसलपुर	तहसील-इटारसी	जिला होशंगाबाद	
क्र0	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकवा	अर्जित रकवा
	निजी भूमि पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन परियोजना हेतु	19.905	7.296
	<b>योग</b>	<b>19.905</b>	<b>7.296 हे0</b>

**अनुसूची क्रमांक-2**

**(1) ग्राम रैसलपुर**

क्र0	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	छोटीबाई वेवा शिवप्रसाद सावित्रीबाई, गायत्रीबाई, गीता, पुष्पाबाई, सीताबाई, सविता पुत्रियां शिवप्रसाद सा.इटारसी	308/1	0.048	0.044	
2	हरिवल्लभ-भिखारीलाल सा. पथरोटा	307	2.124	0.780	
3	जगदीश राजनारायण महेश नारायण राजनारायण	309/1	0.911	0.046	विक्रयपत्र द्वारा केता राजीव वल्द त्रिलोकचंद अग्रवाल को अंश रकवा विकता महेश आ0 राजनारायण ने विक्रय किया।
4	ब्रजेश कुमार जगदीश सा. खेडा	311/3	0.989	0.395	

5	विजयकुमार जगदीश सा. खेडा	311/4	0.989	0.395	
6	सावरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गुलाबचंद वल्द रामनारायण अग्रवाल सा.इटारसी	312/2	1.028	0.944	
7	श्वेतांबर जैन संघ अध्यक्ष समीरमल पिता फूलचंद गोठी	317/8-9	0.878	0.530	
8	रितेश वल्द कैलाशचंद शर्मा इटारसी	317/3	1.011	0.385	पेड-बबूल 2
9	राजीव कुमार आ0 मोहनलाल शर्मा सा. इटारसी	317/17	1.280	0.365	
10	सावरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गुलाबचंद वल्द रामनारायण अग्रवाल सा.इटारसी	315/1 315/3	1.267	0.058	पेड-बबूल 1
11	छोटीबाई देवा शिवप्रसाद, सावित्रीबाई पुत्री शिवप्रसाद, गायत्रीबाई पुत्री शिवप्रसाद, गीताबाई पुत्री शिवप्रसाद, पुष्पाबाई पुत्री शिवप्रसाद, सीताबाई पुत्री शिवप्रसाद, सविता पुत्री शिवप्रसाद सा. इटारसी	1223/2	1.189	0.560	
12	उत्तम पिता बाबूलाल मेहरा सा. साकेत ग्राम नौकर	1179	0.922	0.168	
13	रामनारायण पिता श्रीनारायण अग्रवाल सा.इटारसी	1236/1	2.924	0.629	
14	गुलाबदास पिता रामनारायण अग्रवाल सा.इटारसी	1236/2	2.924	0.955	
15	श्रीराम-गोरलाल कुर्मी सा. पथरौटा	1234	1.072	0.965	
16	अनिल कुमार पिता रामनारायण अग्रवाल	1227/3	0.349	0.077	
	योग		19.905	7.296 हे0	

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1780-भू-अर्जन-2018.—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन फलाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची सूची क्रमांक-1

ग्राम धोखेडा		तहसील-इटारसी		जिला होशंगाबाद	
क्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हेक्टर में)			
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकवा	अर्जित रकवा		
	निजी भूमि पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन परियोजना हेतु	12.929	3.595		
	योग	12.929	3.595	हे०	

अनुसूची क्रमांक-2

(1) ग्राम धोखेडा

क्र०	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1*	राजाराम बल्द शंकर सवित्री विधवा किशनदास हरिदास भगवानदास पुत्रगण किशनदास पार्वतीबाई विधवा हीरालाल दिलीप बल्द हीरालाल पता रैसलपुर भूमि स्वामी	127/1	0.013	0.013	
2	राधेश्याम भगवानदीन पता साकिन इटारसी भूमि स्वामी	131/3	2.428	0.504	
3	शकुनबाई पत्नि श्रवणकुमार जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम सोनासांवरी भूमि स्वामी	132/2	1.837	0.190	
4	बनवारीलाल मिश्रीलाल जाति कुर्मी पता साकिन सोनासांवरी भूमि स्वामी	132/1	1.837	0.712	
5	विमलाबाई जोजे संतोषकुमार जाति यादव पता साकिन खेडा भूमि स्वामी	133/3	1.149	0.615	

6	रामेश्वर बल्द इमरत पता निवासी ग्राम सोनासांवरी भूमि स्वामी	133/4	0.575	0.090	
7	अजयकुमार बल्द राधारमण जाति कुर्मी पता साकिन पथरौटा भूमि स्वामी	149/2	1.254	0.060	
8	रेवाबाई वेवा खुशीलाल कमलकिशोर पुनीत भूपेन्द्र पिता खुशीलाल प्रिंस बल्द मोनू बिंदिया पुत्री खुशीलाल जाति ग्वाला पता साकिन खेडा इटारसी भूमि स्वामी	131/6	0.116	0.072	
9	राजू बल्द काशीराम जाति ग्वाला पता साकिन खेडा इटारसी भूमि स्वामी	131/8	0.116	0.071	
10	विनोद काशीराम जाति ग्वाला पता खेडा इटारसी भूमि स्वामी	131/10	0.116	0.071	
11	दीनानाथ बल्द काशीराम जाति ग्वाला पता खेडा इटारसी भूमि सवामी	131/18	0.116	0.071	
12	रूपचंद बल्द काशीराम जाति ग्वाला पता खेडा इटारसी भूमि स्वामी	131/16	0.116	0.071	
13	मुरारीलाल बल्द काशीराम जाति ग्वाला पता खेडा इटारसी भूमि स्वामी	131/12	0.116	0.071	
14	विजय बल्द गणेशप्रसाद जाति यादव साकिन खेडा इटारसी भूमि स्वामी	129/2	1.214	0.286	
15	अन्सुईयाबाई हल्कू कांतीबाई पत्नि भैयालाल रामलखन श्रीराम जगदीश पुत्रगण भैयालाल साकिन देह भूमि स्वामी	131/2	1.590	0.381	
16	सुरेन्द्र सिंह बल्द भगवती सिंह साकिन इटारसी भूमिस्वामी	128	0.336	0.336	
	योग--		12.929	3.614	

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1783-भू-अर्जन-2018.—

## —: अधिसूचना:—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन प्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जसका कृषकवार व सर्वे कर्मांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची सूची क्रमांक-1

ग्राम इटारसी	तहसील-इटारसी	जिला होशंगाबाद	
क्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकवा	अर्जित रकवा
	निजी भूमि पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन परियोजना हेतु	56.590	16.699 हे०
	योग	56.590	16.699 हे०

## अनुसूची क्रमांक-2

## (1) ग्राम इटारसी

क्र०	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	महेशलाल, शिव किशोर, पुत्रगण मोतीलाल, लीलाबाई पुत्री मोतीलाल, मीराबाई बेवा भिखारीलाल, सुदीप कुमार बल्द भिखारी लाल अनिल कुमार भिखारी लाल जाति कुर्मी भूमि स्वामी	189/5	0.688	0.520	
2	प्रकाशचंद्र व भागीरथ, अशोक कुमार बल्द भागीरथ जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	189/6	1.445	0.105	
3	अंकित कुमार बल्द अरविंद कुमार जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	185/2	1.000	0.690	
4	गंगाबाई बेवा हरौराम जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	185/1	1.000	0.771	
5	नर्मदा प्रसाद, दिनेश कुमार पुत्रगण प्रेमनारायण जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	184	1.708	0.014	

6.	रजनीकांत बल्द छोटेलाल सोनकर खरीक सा० देह भूमि स्वामी	208	0.753	0.008	
7	रामशंकर बल्द शिवप्रसाद जाति कुर्मी सा० घाटली भूमि स्वामी	188 191	2.670	0.293	
8	काशीबाई बेवा नारायण प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, सुभाषचन्द्र पुत्रगण नारायण प्रसाद, श्रद्धा पुत्री नारायण प्रसाद जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	186 200 201/1	5.229	0.890	
9	मिथलेश बल्द ईश्वरसिंह जाति रघुवंशी सा० देह भूमि स्वामी	576/1	0.429	0.299	
10	उमेशसिंह बल्द ईश्वरसिंह जाति रघुवंशी सा० देह भूमि स्वामी	576/3	0.105	0.105	
11	शारदाबाई बेवा द्वारकाप्रसाद, राममरोस, श्रवणकुमार, राजेन्द्रकुमार, नंदकिशोर, दिलीपकुमार पुत्रगण द्वारकाप्रसाद जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	573/2	0.599	0.535	
12	रमाकांत बल्द शिवराम जाति कुर्मी सा० घाटली भूमि स्वामी	585/4	1.121	0.576	
13	सुनीता बेवा सुरेश कुमार जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	585/3	0.374	0.208	
14	अमित बल्द सुरेश कुमार जाति कुर्मी देह भूमि स्वामी	585/5	0.374	0.202	
15	राखी उर्फ सुष्मिता पुत्री सुरेश कुमार जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	585/6	0.373	0.202	
16	आशुतोष बल्द नंदकिशोर सा० देह भूमि स्वामी	624/1	5.277	1.120	निजी नलकूप 1, पक्का मकान 01
17	अनमोल बल्द आशुतोष पटेल जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	624/2	1.214	0.323	
18	संतोष कुमार बल्द रामकिशोर जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	619/1	0.510	0.315	
19	गुलाबचंद बल्द भगवानदीन जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	621	1.080	0.834	
20	रमेशकुमार बल्द नंदकिशोर जाति कुर्मी सा० घाटली भूमि स्वामी	622/1, 622/3	0.323 1.271	0.028 0.008	
21	अयोध्या प्रसाद नंदलाल जाति कुर्मी सा० घाटली भूमि स्वामी	622/2	0.324	0.320	निजी नलकूप 01
22	मुन्नालाल बल्द शिवनारायण जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	623/1 623/2	0.862 0.858	0.309 0.068	
23	अर्चना पत्नि मुकेश जाति कुर्मी सा० टिकरी बैतूल भूमि स्वामी	631/9	1.012	0.537	
24	मुकेशकुमार बल्द शिवनारायण जाति कुर्मी सा० देह भूमि स्वामी	631/8	0.729	0.008	



25	चन्द्रिकाप्रसाद 0.21414 बल्द गणेशप्रसाद जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी0.	631/4	2.155	0.455	
26	राघारमण बल्द मोतीलाल जाति कुर्मी सा0 पथरौटा भूमि स्वामी	632/1	0.809	0.214	
27	नरेशकुमार बल्द मोतीलाल जाति कुर्मी सा0 पथरौटा भूमि स्वामी	632/2	1.683	0.379	
28	राजकुमारी बेवा अशोककुमार, विदित कुमार बल्द अशोककुमार जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	633/1	0.623	0.165	
29	कृष्णा बल्द कैलाश रावत, स्वरूप बल्द कैलाश रावत जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	633/2	0.623	0.164	
30	शरदकुमार, कृष्णकुमार, अनिलकुमार, राजकुमार पुत्रगण फूलचंद जाति कुर्मी सा0 चांदौन भूमि स्वामी	634	1.365	0.369	
31	जयकिशोर बल्द कामताप्रसाद जाति कुर्मी सा0 पथरौटा भूमि स्वामी	658/2	0.202	0.121	
32	राजेन्द्र प्रसाद बल्द कामताप्रसाद जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	658/3	0.202	0.072	
33	नवनीत बल्द कामताप्रसाद जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	658/4	0.202	0.056	
34	रामशंकर बल्द कामताप्रसाद जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	658/5	0.203	0.032	
35	प्रेमशंकर बल्द कामताप्रसाद जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	658/6	0.203	0.008	
36	वीरेन्द्र बल्द मोतीलाल जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	659	1.149	0.365	
37	उषा पाटिल भागीरथप्रसाद जाति कुर्मी सा0 घाटली भूमि स्वामी	665/2	1.052	0.405	
38	बंदना पत्नि, सुधीरकुमार, पराग बल्द सुधीरकुमार, साक्षी पुत्री सुधीरकुमार जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	663/2ख	2.562	0.770	
39	वीरेन्द्र सिंह बल्द सकरू, कुसमा बाई पुत्री सकरू वेवा हरराम अजुददी पुत्री खुशीलाल पत्नि शंकरलाल, भगवानसिंह बल्द नन्हैलाल, गुलवतीबाई वेवा श्रीकिशन प्रदीप बल्द श्रीकिशन नेहा पुत्री श्रीकिशन जाति गौंड सा0 देह भूमि स्वामी	662/2	1.267	0.574	

40	श्यामबाई बेवा रमेश, राकेशकुमार बल्द रमेश, मंजू पुत्री रमेश, सोनू पुत्री रमेश जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	662/1	1.267	0.274	
41	बृजमोहन बल्द मिश्रीलाल जाति कुर्मी सा.देह भूमिस्वामी	714/3	1.145	0.555	
42	अनिल कुमार बल्द मिश्रीलाल जाति कुर्मी सा.देह भूमिस्वामी	714/4	0.696	0.005	
43	रामस्वरूप बल्द राधेलाल जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	714/1, 715/1 712, 705, 708	0.523 1.753 0.435 0.930 0.113	0.851 0.223 0.460 0.100	
44	पवनकुमार, राकेश कुमार पुत्रगण रामभरोस जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	710 706 707	0.105 0.567	0.032 0.093	
45	ताराबाई पुत्री नंदलाल बेवा कन्हैयालाल जाति कुर्मी सा0 देह भूमि स्वामी	709	1.000	0.233	
46	अजीत बल्द शरद कुमार, प्रतीक ना.बा. बल्द अनिल कुमार वली पिता अनिल कुमार बल्द फूलचंद चौधरी जाति कुर्मी सा0 चांदौन भूमि स्वामी	635	0.081	0.004	
47	भारत प्रीलोम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एम.आई.जी.261 के.वी. एच.वी.कालोनी कुकान पतली हैदराबाद मैनेजिंग डायरेक्टर एन.बी.चेलापविशव भूमि स्वामी	701 704	1.101 1.246	0.432	
	<b>योग-</b>		<b>56.590</b>	<b>18.699 हे0</b>	

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1783-भू-अर्जन-2018.—

—: अधिसूचना:—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन पलाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची सूची क्रमांक-1

ग्राम देहरी	तहसील-इटारसी	जिला होशंगाबाद	
क्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकवा	अर्जित रकवा
	निजी भूमि पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन परियोजना हेतु	13.988	3.759
	योग	13.988	3.759 हे०

अनुसूची क्रमांक-2

(1) ग्राम देहरी

क्र०	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	ऋषि कुमार बद्दीनारायण जाति ब्राम्हण पता सा.इटारसी भूमि स्वामी	131/2	2.007	0.035	
2	निर्मलादेवी पत्नी पुरुषोत्तम जाति ब्राम्हण पता सा.इटारसी भूमिस्वामी	192/2	2.489	1.008	
3	बद्दीनारायण मौजीलाल जाति ब्राम्हण पता सा.इटारसी भूमिस्वामी	192/4	2.493	0.316	
4	जलज, शुभम पुत्रगण सुधीर कुमार जाति कुर्मी पता निवासी जुझारपुर भूमिस्वामी	203/1	0.615	0.185	

5	जगदीश रामलाल जाति कुर्मी पता निवासी जुझारपुर भूमिस्वामी	193/1	0.809	0.501	
6	बृजकिशोर पिता रामलाल जाति कुर्मी पता निवासी जुझारपुर भूमिस्वामी	193/5 194/1	0.810	0.099	
7	श्रीमतीबाई वेवा सुंदरलाल भूमिस्वामी प्रदीपकुमार सुंदरलाल भूमिस्वामी प्रमोदकुमार सुंदरलाल भूमिस्वामी दिलीप कुमार सुंदरलाल जाति कुर्मी पता निवासी जुझारपुर भूमिस्वामी	193/2 194/2 195/2	2.420	0.603	
8	रामेश्वर प्रसाद पिता शिवप्रसाद कुर्मी जुझारपुर	193/4 195/4 196/3 197/3	0.785	0.357	
9	ओंकार प्रसाद शिवप्रसाद जाति कुर्मी पता निवासी जुझारपुर भूमिस्वामी	193/3 195/3 196/1 197/1	0.783	0.294	
10	रामऔतार सिंह तुलसीराम जाति कुर्मी पता निवासी जुझारपुर भूमिस्वामी	196/2 197/2	0.538	0.084	
11	नवलकिशोर तुलसीराम जाति कुर्मी पता निवासी जुझारपुर भूमिस्वामी	199	0.239	0.162	
	<b>योग-</b>		<b>13.988</b>	<b>3.644</b>	

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1789-भू-अर्जन-2018.—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची सूची क्रमांक-1

ग्राम सोनासावरी	तहसील-इटारसी	जिला होशंगाबाद		
		विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हेक्टर में)	
		सर्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकवा	अर्जित रकवा
		निजी भूमि पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन परियोजना हेतु	45.220	16.538
		योग	45.020	16.538 हे०

अनुसूची क्रमांक-2

(1) ग्राम सोनासावरी					
क्र०	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	शिवकिशोर रामनाथ साकिन होशंगाबाद भूमि स्वामी	369/2	0.809	0.161	
2	बलराम बल्द दीनदयाल जाति कुर्मी साकिन देह	364/1	0.889	0.318	
3	अनुरुद्ध बल्द दीनदयाल जाति कुर्मी सा०देह	364/3	0.409	0.318	
4	विनोद बल्द मिश्रीलाल जाति कुर्मी सा०देह	364/2	1.054	0.281	
5	प्रमोद बल्द मिश्रीलाल जाति कुर्मी सा०देह	364/5	1.053	0.281	
6	कृष्णकुमार बल्द मिश्रीलाल जाति कुर्मी सा०देह	364/6	1.053	0.282	
7	दुबे बल्द छोटेलाल जाति कुर्मी निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू०रा०शा० 89/1	370/3	2.171	0.502	
8	भोजराज बल्द गणेशराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू०रा०शा० 172/5	370/1	0.602	0.396	

9	धनराज बल्द गणेशराम जाति कुर्मी पता साकिन देह भूमि स्वामी भू०रा०शा० 71/3	370/5	0.601	0.397	
10	बाबूलाल बल्द लालताप्रसाद पता साकिन देह भूमि स्वामी भू०रा०शा० 89/2	382/2	1.656	0.450	
11	सदाशिव राधेलाल पता साकिन पथरोटा भूमि स्वामी	386/4	1.619	0.651	
12	रोहणीप्रसाद पिता जमुनादास कुर्मी सा० तारारोडा	382/1	0.083	0.010	
13	रोहणीप्रसाद पिता जमुनादास कुर्मी सा० तारारोडा	386/2	0.241	0.137	
14	गोविंद बल्द जमुनादास कुर्मी साकिन तारारोडा	382/3	0.083	0.010	
15	गोविंद बल्द जमुनादास कुर्मी साकिन तारारोडा	386/7	0.241	0.137	
16	कालीचरण बल्द जमुनादास कुर्मी सा० तारारोडा	382/4	0.083	0.010	
17	कालीचरण बल्द जमुनादास कुर्मी सा० तारारोडा	386/8	0.241	0.137	
18	गीताबाई पुत्री जमुनादास कुर्मी साकिन तारारोडा	382/5	0.083	0.010	
19	गीताबाई पुत्री जमुनादास कुर्मी साकिन तारारोडा	386/9	0.241	0.137	
20	छामाबाई पुत्री जमुनादास कुर्मी सा० तारारोडा	386/6	0.083	0.010	
21	छामाबाई पुत्री जमुनादास कुर्मी सा० तारारोडा	386/10	0.241	0.138	
22	विजयकुमार पिता संतूलाल पिता साकिन इटारसी	392/2	0.610	0.147	
23	गणेशप्रसाद बल्द रामगोपाल कुर्मी साकिन इटारसी	530/5	0.538	0.360	
24	नितिन बल्द राजेश कुमार	527/1	2.428	2.384	
25	रेवतीबाई वेवा द्वारकाप्रसाद उमाशंकर प्यारेलाल सुरेन्द्र पुत्रगण द्वारकाप्रसाद निर्मलाबाई लताबाई राजकुमारीबाई भागवतीबाई दयाबाई पुत्रिया द्वारकाप्रसाद पता साकिन इटारसी भूमि स्वामी	388/7	0.405	0.202	
26	त्रिलोकचंद लल्ला पता साकिन इटारसी भूमि स्वामी	377/1	0.809	0.618	
27	गोवर्धन नन्हेलाल पता साकिन इटारसी भूमि स्वामी	532/10क	0.202	0.150	
28	गरीश बल्द गोवर्धन	532/10ख	0.810	0.298	
29	राधेश्याम बल्द गोवर्धन	532/10ग	0.404	0.298	
30	रूपेन्द्रसिंह बल्द शंकरसिंह पता साकिन देह भूमि स्वामी भू०रा०शा० 110/1	523/1	1.366	0.154	
31	जितेन्द्रसिंह बल्द शंकरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू०रा०शा० 110/2	523/3	1.367	0.155	

32	राजेश बल्द भिखारीलाल जाति कुर्मी साकिन इटारसी	525/2	2.832	1.441	
33	चन्द्रमोहन बल्द छोटेलाल पता साकिन इटारसी भूमि स्वामी	525/3	4.047	0.075	
34	अशोककुमार गोपीचंद पता साकिन इटारसी भूमि स्वामी	532/4	0.284	0.187	
35	कावेरी पत्नि गोपीचंद पता साकिन इटारसी भूमि स्वामी	392/1	1.619	1.500	
36	कावेरी पत्नि गोपीचंद पता साकिन इटारसी भूमि स्वामी	381/6	0.886	0.147	
37	नर्मदाप्रसाद बल्द द्वारकाप्रसाद	522/8	1.187	0.295	
38	श्यामसुंदर बल्द नर्मदाप्रसाद	552/6	0.782	0.296	
39	श्री ठाकुरजी मंदिर दत्तजी हनुमानजी निमित्त प्रबंधक श्रीमान् सीताशरण बल्द रामलालजी शर्मा साकिन इटारसी एवं जिला अध्यक्ष भूमि स्वामी	503	3.213	0.347	
40	गणेशराम फौत पिता बाजीलाल वारिसगण चंद्रिकाप्रसाद सुरेशचंद कौशलकिशोर नवल पुत्रगण गणेशराम कृष्णाबाई उषाबाई शिवकांतीबाई फौत पुत्रियां गणेशराम	510/1	0.898	0.258	
41	महेन्द्र तिवारी बल्द भगवतीप्रसाद	515/9	2.156	1.153	
42	श्रीमति सुलोचना पत्नि रामअवतार पता साकिन पुरानी इटारसी भूमि स्वामी	515/2	1.922	0.496	
43	दीपनारायण आ० रामदास पता साकिन घाटली भूमि स्वामी	515/6	1.214	0.549	
44	प्रेमबाई बेवा सुंदरसिंह पता साकिन इटारसी भूमि स्वामी	513 514/2	1.505	0.255	
	योग		45.020	16.538	

1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 2 जून 2018

क्रमांक-... 247 /भू-अर्जन/2018, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे की दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (4) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 5 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी  
 (ख) तहसील - गोपदबनास  
 (ग) नगर/ग्राम - नौढ़िया  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 9.985 हे०

क्र.	खसरा नम्बर एवं बटा नम्बर	बटा नम्बर का कुल रकवा	अर्जित रकवा	भू-स्वामी का नाम	रिमाक
1	2	3	4	5	6
1	661/1	0.049	0.010	अरुण कुमार सिंह पिता भोला सिंह	
2	661/2	0.198	0.004	दसोदरी बेवा दुलेश्वर, रमेश पिता दुलेश्वर, मुस. श्यामवती बेवा केशव प्रसाद, अशोक कुमार, संतोष कुमार पिता केशव प्रसाद, सरजो तनय शिवसेवक, परधान नाई पिता लाला नाई	
3	662/1	0.044	0.042	ललन बहादुर सिंह पिता बलभद्र सिंह चौहान	
4	662/2	0.025	0.023	दसोदरी बेवा दुलेश्वर, रमेश पिता दुलेश्वर, मुस. श्यामवती बेवा केशव प्रसाद, अशोक कुमार, संतोष कुमार पिता केशव प्रसाद, सरजो तनय शिवसेवक, परधान नाई पिता लाला नाई	
5	663/2	0.048	0.044	सुप्रिया पाठक पत्नी रूपेश कुमार पाठक मैहर सतना	



6	664	0.049	0.030	मु० प्रिया सिंह बेवा शैलेन्द्र सिंह, अपेक्षा सिंह, विशाल सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह बाघेल
7	665/2/1	0.006	0.006	अरुण कुमार सिंह पिता भोला सिंह बाघेल
8	665/2/2	0.022	0.009	अरुण सिंह पिता परिगन सिंह चौहान
9	666/4/4	0.014	0.014	रामकृष्ण शर्मा पिता गणेश प्रसाद शर्मा
10	666/4/5	0.011	0.011	मंगलेश्वर प्रसाद पित उदयनारायण तिवारी
11	666/1/3	0.154	0.035	मु० प्रिया सिंह बेवा शैलेन्द्र सिंह, अपेक्षा सिंह, विशाल सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह बाघेल
12	667/1	0.018	0.018	अरुण कुमार सिंह पिता भोला सिंह बाघेल
13	667/2	0.006	0.006	देववती पत्नी रामचन्द्र त्रिपाठी
14	667/3	0.057	0.057	श्रीमती प्रेमवती पत्नी रवि वर्मा
15	668	0.085	0.085	भोला सिंह पिता विश्वनाथ सिंह बाघेल
16	669/1/1/मि-1	0.084	0.084	भोला सिंह पिता विश्वनाथ सिंह बाघेल
17	669/2	0.057	0.057	ललन बहादुर सिंह पिता बलभद्र सिंह चौहान
18	669/5मिन-1	0.001	0.001	भोला सिंह पिता विश्वनाथ सिंह बाघेल
19	671/1/1	0.006	0.006	भोला सिंह पिता विश्वनाथ सिंह
20	673/2/2	0.018	0.018	कुशलेन्द्र सिंह पिता लालबहादुर सिंह गहरवार
21	673/2/1	0.022	0.022	लवकेश सिंह पिता लालबहादुर सिंह गहरवार
22	673/2	0.022	0.022	नागेन्द्र सिंह पिता मनोहर सिंह बाघेल
23	673/1/ड	0.017	0.017	प्रेमा सिंह पत्नी समरजीत सिंह
24	673/1/ग	0.022	0.022	रणबहादुर सिंह पिता हीरालाल सिंह, राजबहादुर सिंह पिता शंकर सिंह
25	673/1/1ख/1	0.018	0.018	सविता पत्नी धनंजय प्रसाद शक्ला
26	674/1/1	0.033	0.033	नागेन्द्र बहादुर सिंह पिता बलभद्र सिंह चौहान
27	674/1/2	0.040	0.040	ललन बहादुर सिंह पिता बलभद्र सिंह चौहान

28	674/2	0.027	0.027	प्रमिला देवी पत्नी धीरमणि मिश्रा	
29	674/3	0.009	0.009	कलन्दर सिंह पिता थाने सिंह चौहान	
30	674/4	0.008	0.008	बृजेन्द्र सिंह पिता भोला सिंह गहरवार	
31	675/1/2	0.006	0.006	सुशील कुमार, हिमांचल, प्रवीण कुमार, पिता सीताशरण सिंह बाघेल	
32	675/1/3	0.011	0.011	श्रीमती फूलकली पत्नी सुखेन्द्रमणि तिवारी	
33	675/1/क/3	0.014	0.014	अनिल कुमार पिता भुवनेश्वर प्रसाद त्रिपाठी	
34	675/1/क/मिन-2	0.047	0.047	रत्नमाला पत्नी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा	
35	675/1/ख	0.034	0.034	सन्तोष कुमार पिता रामकृपाल द्विवेदी	
36	675/1/ग	0.022	0.015	अमित कुमार सिंह पिता महावली सिंह गहरवार	
37	675/1/मिन-1	0.106	0.090	कमलेश बहादुर सिंह पिता बलभद्र सिंह चौहान	
38	675/2	0.046	0.016	संतोष कुमार पिता रामकृपाल द्विवेदी	
39	675/4	0.037	0.037	वंशगोपाल पिता हलकाई रैकवार	
40	677/1	0.268	0.120	कमलेश बहादुर सिंह पिता बलभद्र सिंह चौहान	
41	705/2/1/1	0.020	0.020	मु० श्यामकली बेवा द्वारिका प्रसाद, नेमेलाल, श्यामलाल पिता द्वारिका प्रसाद मुस० सुशीला देवी बेवा प्रेमलाल, शकुन्तला, बैजनाथ पिता प्रेमलाल तेली	
42	705/2/1/2	0.075	0.032	श्रीमती कुसुम पत्नी विद्या प्रसाद गौतम	
43	705/2/1/3	0.038	0.032	श्रीमती पार्वती मिश्रा पत्नी शिवशंकर प्रसाद ब्रा	
44	705/2/3	0.216	0.216	सीताराम तिवारी पिता हनुमान प्रसाद तिवारी	
		0.216	0.216	भूपेन्द्र सिंह पिता राजकुमार सिंह	
45	705/3	0.304	0.014	ललइया पिता विश्राम चमार	
46	711/1	0.100	0.084	धर्मराज सिंह पिता रंजोर सिंह राजपूत	
47	711/1/1	0.202	0.100	श्रीराम सिंह पिता रविराज सिंह चौहान	
48	711/3/2	0.171	0.100	पंकज सिंह पिता बैजनाथ सिंह चौहान	

49	711/3/3	0.015	0.015	श्रीमती कुसुमकली पत्नी रामाश्रय रजक
50	711/3/मिन-1	0.156	0.100	रामायण सिंह पिता बैजनाथ सिंह चौहान
51	711/4	0.040	0.040	छोकई उर्फ छोटई पिता ऐतवारी, संतोष, सूरज पिता छोकई उर्फ छोटई बसोर
52	711/मिन-2	0.101	0.101	शिवनाथ, शम्भू पिता देवेशरण कोल
53	712/1/1	0.037	0.037	मु० श्यामकली बेवा द्वारिका प्रसाद साहू
54	712/1/3/2	0.011	0.011	अनिमेश पिता श्रीधर त्रिपाठी
55	712/3	0.101	0.090	नेमेलाल पिता द्वारिका प्रसाद तेली
56	712/4	0.101	0.090	श्यामलाल पिता द्वारिका प्रसाद तेली
57	712/5	0.101	0.084	रामलाल पिता द्वारिका प्रसाद तेली
58	712/6	0.034	0.034	मु० सुशीला देवी बेवा प्रेमलाल तेली
59	712/7	0.034	0.023	शंकुंतला पुत्री प्रेमलाल साहू
60	712/8	0.034	0.034	बैजनाथ पिता प्रेमलाल साहू
61	712/1/3/1	0.022	0.022	दिनेश कुमार पिता रामलाल द्विवेदी सा० मरसरहा
62	712/1/2	0.020	0.020	रविप्रकाश पिता दशरथ वर्मा
63	714/1	0.102	0.102	विन्द्रा प्रसाद पिता शोभई तेली
64	714/2/1	0.031	0.031	सुमित्री, चरकू, उदयभान, शम्भू, रामलाल, लखनलाल, सुशील कुमार पिता छोटेलाल साहू
65	714/2/2/1	0.028	0.028	श्रीमती रेखा मिश्रा पत्नी दयाशंकर मिश्रा
66	714/2/2/2	0.014	0.014	कुशुम पत्नी देवलाल साहू
67	714/2/3/2	0.016	0.016	बृजभान साहू पिता कमलभान साहू सा० तरका
68	714/2/3/3	0.020	0.020	राजेन्द्र प्रसाद साहू पिता शिवकुमार साहू तरका
69	714/2/4	0.052	0.052	आरती साहू पिता देवलाल साहू
70	714/2/5	0.052	0.052	गणेशधर द्विवेदी, कृष्णकुमार धर द्विवेदी पिता ठाकुरदयालधर द्विवेदी सा० पमरिया
71	714/2/6	0.010	0.010	विकास पिता छोटेलाल साहू
		0.010	0.010	श्रीमती ललिता साहू पत्नी बाल्मीक साहू
		0.010	0.010	श्रीमती अनारकली पत्नी हरिलाल वर्मा
72	714/2/7	0.020	0.020	कृष्णकुमार साहू पिता रामप्रसाद साहू

73	714/2/8	0.020	0.020	कपूरचंद्र साहू पिता विश्वनाथ साहू	
74	714/2/9	0.020	0.020	गुलाब प्रसाद पिता रामाधार कारपेन्टर बढई	
75	714/2/ग	0.112	0.112	जीतेन्द्र कुमार पिता मानिकलाल गुप्ता	
76	714/2/घ	0.048	0.048	जीतेन्द्र कुमार पिता मानिकलाल गुप्ता	
77	714/2/मिन-3	0.163	0.163	प्रवीण साहू पिता देवलाल साहू	
78	715	0.027	0.027	बद्री सिंह पिता शंकर सिंह चौहान	
79	716/1	0.123	0.123	बद्री सिंह पिता शंकर सिंह चौहान	
80	716/2	0.041	0.041	राघवेन्द्र सिंह पिता बद्री सिंह चौहान	
81	716/3	0.041	0.041	कुश सिंह पिता बद्री सिंह चौहान	
82	716/4	0.041	0.041	लव सिंह पिता बद्री सिंह चौहान	
83	717	0.182	0.182	देवलाल, कुष्णकुमार, गुलाबवती, कैलासवती पिता मुण्डा 1/2, जगदीश प्रसाद, महादेव प्रसाद पिता मालू तेली 1/2	
84	718/2	0.020	0.020	देवराज सिंह पिता रामराज सिंह चौहान	
85	718/3	0.020	0.020	हशराज सिंह पिता रामराज सिंह चौहान	
86	718/4	0.020	0.020	प्रज्ञा सिंह पत्नी पुष्पेन्द्र सिंह	
87	718/7	0.010	0.010	नीलेश कुमार सिंह पिता विश्राम सिंह	
88	718/8	0.020	0.020	निहारिका सिंह पिता देवेन्द्र सिंह चौहान	
89	718/9	0.010	0.010	निशा पत्नी देवेन्द्र सिंह चौहान	
90	718/10	0.020	0.020	राधिका सिंह पत्नी रामराज सिंह चौहान	
91	718/11	0.020	0.020	पूनम सिंह पिता लालबहादुर सिंह	
92	718/12	0.020	0.020	श्रीमती अर्चना सिंह पत्नी देवराज सिंह चौहान	
93	718/13	0.035	0.035	महेन्द्र सिंह पिता शिवराज बहादुर सिंह चौहान	
94	718/मिन-1	0.026	0.026	रामराज सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह चौहान	
95	719	0.021	0.021	शिवराज बहादुर सिंह, रामराज सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह चौहान	
96	720/2	0.004	0.004	मोहित तिवारी पिता रामायण तिवारी	

97	720/3	0.004	0.004	दीपक प्रसाद पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	
98	720/4	0.004	0.004	नीरज कुमार पिता राजीव कुमार द्विवेदी	
99	720/मिन-1	0.078	0.078	देवलाल, कृष्णकुमार, गुलाबवती, कैलासवती पिता मुण्डा, मु0 महरजुआ बेवा भालू जगदीश प्रसाद, महादेव प्रसाद पिता भालू तेली, संजीव कुमार पिता महादेव साहू, गीत साहू पिता महोदय साहू, कुलदीप कुमार पिता महादेव प्रसाद साहू	
100	721/मिन-1	0.019	0.019	शिवराज बहादुर सिंह, रामराज सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह चौहान	
101	721/2	0.016	0.016	विद्या सिंह पिता जानकी सिंह चौहान	
102	724/1	0.273	0.079	बैजनाथ सिंह पिता रंजोर सिंह चौहान	
103	724/2/1	0.207	0.207	मुस0 सावित्री सिंह बेवा रामेश्वर सिंह, खूसबू सिंह, शिल्पी, रूची पुत्री रामेश्वर सिंह ना.ब.सं. माता सावित्री सिंह चौहान	
104	724/4/5	0.014	0.014	अरुणेन्द्र तिवारी पिता रामरक्षा तिवारी	
105	726	0.134	0.134	ललन बहादुर सिंह पिता बलभद्र सिंह चौहान	
106	727/1/2	0.015	0.015	संजीव सिंह पिता वृजवासी सिंह	
107	727/1/3	0.015	0.015	रोहित सिंह पिता योगेन्द्र सिंह	
108	727/1/4	0.007	0.007	ओमप्रकाश पिता कामता सिंह	
109	727/1/5	0.015	0.015	आलोक उर्फ अलोक सिंह पिता महेन्द्र सिंह गहरवार	
110	727/1/6	0.008	0.008	राकेश कुमार सिंह पिता कामता सिंह	
111	727/2	0.067	0.067	नागेन्द्र सिंह पिता धर्मराज सिंह चौहान	
112	727/3	0.017	0.017	सतेन्द्र सिंह पिता धर्मराज सिंह चौहान	
113	727/मिन-1	0.008	0.008	धर्मराज सिंह पिता रंजोर सिंह चौहान	
114	728/3	0.119	0.036	मुस. अनारकली बेवा बलभद्र सिंह चौहान	

115	736/3	0.101	0.073	राजकुमारी पत्नी सर्वेश्वर सिंह चौहान
116	736/4/2	0.087	0.027	महेन्द्र सिंह पिता गंगा सिंह चौहान
117	736/10	0.160	0.100	महेन्द्र सिंह पिता गंगा सिंह चौहान
118	736/11	0.160	0.100	महेन्द्र सिंह पिता गंगा सिंह चौहान
119	827/1	0.687	0.222	बद्री सिंह पिता शंकर सिंह चौहान
120	827/2	0.686	0.222	राघवेन्द्र सिंह पिता बद्री सिंह चौहान
121	827/3	0.686	0.222	कुश सिंह पिता बद्री सिंह चौहान
122	827/4	0.686	0.222	लव सिंह पिता बद्री सिंह चौहान
123	731/1	0.335	0.032	शिवराज बहादुर सिंह, रामराज सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह चौहान 1/3 हि. जानकी प्रसाद सिंह, राघोप्रताप सिंह पिता कुंजभान सिंह 2/3 जाति चौहान
124	836/1/मि-1	0.044	0.020	इन्द्रकुमार सिंह पिता श्यामलाल सिंह
125	838/1/1	0.580	0.562	रघुराज सिंह पिता शंकर सिंह चौहान
126	838/1/2	0.167	0.150	ऋतुराज सिंह पिता रघुराज सिंह चौहान
127	838/1/3	0.580	0.570	श्रीमती सरस्वती सिंह पत्नी रघुराज सिंह चौहान
128	838/1/4	0.581	0.570	श्रीमती ज्योती सिंह पत्नी ऋतुराज सिंह चौहान
129	838/2/1/1	0.032	0.032	नर्वदा पिता अनन्दे जायसवाल
130	838/2/1/क	0.010	0.010	उमेश तिवारी पिता वंशगोपाल तिवारी
131	838/2/1/ख	0.010	0.010	शत्रुघ्न तिवारी पिता वंशगोपाल तिवारी
132	838/2/2	0.083	0.083	शिवप्रसाद पिता अनन्दे जायसवाल
133	839/1/2	0.050	0.050	कमलेन्द्र सिंह तनय गोविन्द सिंह क्षत्री
134	839/1/4	0.052	0.052	संजय सिंह तनय नरेन्द्र सिंह सेगर
135	839/1/5	0.012	0.012	बृजलाल पटेल तनय जगदीश प्रसाद पटेल
136	839/1/6	0.012	0.012	ज्योती प्रकाश तनय रामगरीब पटेल
137	839/1/7	0.020	0.020	सरफराज अहमद तनय बन्दरहीम खान मुसलमान
138	839/1/8	0.020	0.020	सुनील कुमार सिंह तनय बृजेन्द्र प्रताप सिंह क्षत्री
139	839/1/9	0.052	0.052	संतोष कुमार तन्मय गुलिब सिंह सिकरवार
140	839/1/10	0.048	0.048	शेरे असलम खान तनय कप्तान खान मुसलमान
141	839/1/11	0.020	0.020	सुखलाल तनय दुलारे साकेत

142	839/1/12	0.048	0.020	हर्षवर्धन सिंह पिता वंशगोपाल सिंह सैंगर	
143	839/1/13	0.016	0.016	जंगबहादुर सिंह तनय बीरबहादुर सिंह क्षत्री	
144	839/2/1/1	0.100	0.091	निधी सिंह पुत्री श्यामबहादुर सिंह चौहान	
145	839/2/1/2	0.100	0.091	जीतेन्द्र सिंह पिता श्यामबहादुर सिंह चौहान	
146	839/2/1/3	0.020	0.020	विकाश सिंह तनय कृष्णपाल सिंह सा0 गाड़रा	
147	839/2/1/4	0.040	0.040	उमेश कुमार सिंह तनय राजभान सिंह	
148	839/2/2	0.168	0.050	कमला सिंह पत्नी श्यामराज सिंह क्षत्री	
149	839/2/2/2	0.052	0.052	रावेन्द्र सिंह तनय केशरी सिंह	
150	839/2/2/3	0.020	0.020	जयलाल पिता गंगा पटेल सा0 बराव	
151	839/2/2/4	0.020	0.020	राजेश सिंह पिता गंगा पटेल सा0 बराव	
152	839/2/2/5	0.052	0.052	संतोष कुमार तनय भीमसेन साकेत	
153	839/2/2/6	0.010	0.010	अजीत सिंह तनय मनरंजन सिंह	
154	839/2/मिन-1	0.023	0.023	विद्या सिंह पुत्री जानकी प्रसाद सिंह चौहान	
155	839/3/1/4	0.014	0.014	श्रीमती कौसिल्या पत्नी रोशन प्रसाद तिवारी	
156	839/3/1/5	0.040	0.040	दीपक सिंह तनय हरिशंकर सिंह	
157	839/3/1/6	0.050	0.050	विक्रम सिंह तनय भानसाहब सिंह	
158	839/3/1/7	0.050	0.050	विनीत कुमार पिता ओमशंकर सिंह	
159	839/3/1/8	0.020	0.020	रवीन्द्र सिंह पिता गोविन्द्र सिंह क्षत्री	
160	839/3/1/9	0.020	0.020	सुनील मिश्रा पिता रामसजीवन मिश्रा	
161	839/3/1/10	0.020	0.020	विकास सिंह पिता सुमन्त सिंह क्षत्री	
162	839/3/1/11	0.020	0.020	अनिल कुमार सिंह पिता गुलाब सिंह क्षत्री	
163	839/3/1/12	0.040	0.040	अश्वनी कुमार सिंह पिता गुलाब सिंह क्षत्री	
164	839/3/1/13	0.050	0.050	अमृतलाल पटेल पिता रामशिरोमणि लाल पटेल	
165	839/3/1/14	0.040	0.040	शिवेन्द्र सिंह पिता दिनेश प्रताप सिंह	
166	839/3/1/मिन-1	0.168	0.022	राघो प्रताप सिंह पिता कुन्जभान सिंह चौहान	
167	839/3/2	0.066	0.050	प्रेमवती पत्नी रामायण प्रसाद विश्वकर्मा	

168	840/1/1	0.068	0.023	रघुराज सिंह पिता शंकर सिंह चौहान	
169	840/1/3	0.049	0.024	श्रीमती सरस्वती सिंह पत्नी रघुराज सिंह चौहान	
170	840/1/4	0.049	0.024	श्रीमती ज्योती सिंह पत्नी ऋतुराज सिंह चौहान	
171	840/1/मिन-2	0.069	0.024	ऋतुराज सिंह पिता रघुराज सिंह	
172	841/1/2	0.084	0.006	विद्या सिंह पुत्री जानकी सिंह चौहान	
173	841/1/3/1	0.043	0.043	वरुणेन्द्र कुमार पिता राकेश द्विवेदी	
174	841/1/3/3	0.040	0.040	शिवराज सिंह पिता राम साहब सिंह	
175	841/1/3/4	0.040	0.040	अमित कुमार सिंह पिता आंमबहादुर सिंह	
176	841/1/4	0.042	0.042	सम्पत्ति कुमार पिता रामरसीले तिवारी	
177	841/1/5	0.048	0.048	कृष्णकुमार सिंह पिता हीरामणि सिंह क्षत्री	
178	841/1/7	0.022	0.022	सुखलाल साहू पिता प्रेमलाल साहू	
179	841/1/3/2	0.040	0.040	रोहित कुमार सिंह पिता ओम सिंह	
180	844/1/1/16	0.020	0.020	धर्मविजय सिंह पिता धर्मेन्द्र सिंह परिहार	
181	844/1/1/17	0.020	0.020	निहाल सिंह पिता देवेन्द्र सिंह चौहान	
182	844/1/1/18	0.020	0.020	ऋतुराज सिंह पिता रामराज सिंह चौहान	
183	844/1/3/3	0.040	0.040	विकास सिंह पिता दिनेश प्रताप सिंह चौहान	
184	844/1/3/4	0.040	0.040	बाल्मीक सिंह पिता श्यामराज सिंह चौहान	
185	844/1/3/5	0.040	0.040	संध्या सिंह पत्नी बाल्मीक सिंह चौहान	
186	844/1/11	0.020	0.020	देवेन्द्र सिंह पिता शिवराज बहादुर सिंह चौहान	
187	844/1/14	0.040	0.040	धर्मराज सिंह पिता राघो प्रताप सिंह चौहान	
188	844/2/2/2	0.030	0.030	रामायण सिंह पिता श्यामराज सिंह चौहान	
189	844/2/2/3	0.030	0.030	प्रतिमा सिंह पत्नी रामायण सिंह चौहान	
		<b>14.432</b>	<b>9.985</b>		

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- रीवा-सीधी नई रेल लाइन हेतु।
- भूमि के नक्शे एवं प्लान:- उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी गोपदबनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई एवं 4 जून 2018

क्र. 1228-1709-2018-पचास-2.— किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:-

:: अनुसूची ::

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4
1	कटनी	कटनी	कु. भावना सिंह, JMFC
2	छतरपुर	छतरपुर	श्री पवन कुमार शंकरवार, JMFC

No. 1228-179-2018-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 (No.02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:-

## Schedule-

S. NO	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
1	2	3	4
1	KATNI	KATNI	Ku. Bhavna Singh, JMFC
2	CHHATARPUR	CHHATARPUR	Shri Pawan Kumar Shankwar, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी.के. ठाकुर, उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

	(1)	(2)
	353/2	0.08
	352	0.11

सिवनी, दिनांक 29 मई 2018

योग . . . 1.43

क्र. 2753-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस रेल्वे परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) ग्राम—भोमाटोला, प.ह.नं.-76, रा.नि.म.-भोमा
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.43 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230/1	0.18
233/3	0.01
233/5	0.01
234	0.07
235	0.07
370	0.08
369	0.05
364	0.05
360	0.05
363	0.09
362	0.11
361	0.09
355	0.24
359	0.10
354/1-2	0.04

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा कैम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2754-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस रेल्वे परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) ग्राम—ईदावाड़ी, प.ह.नं.-81, रा.नि.म.-भोमा
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.71 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

### निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
221/3	0.02
222	0.05
223	0.10

(1)	(2)
224	0.11
277	0.16
225	0.05
275	0.07
278	0.09
279/1	0.05
221/1	0.01
योग . . .	
	0.71

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे छिंदवाड़ा कैम्प सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 24 मई 2018

पत्र क्र. 941-प्रका.-भू-अर्जन-20 . . . .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—पिपरी-304

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.117 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

25 0.014

18 0.001

19 0.021

20 0.022

21 0.022

14 0.037

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.117

ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ+ब का योग 0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 943-प्रका.-भू-अर्जन-20 . . . .—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—टेहरा-196  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.720 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

125 0.017

(1)	(2)	(1)	(2)
124	0.055	513	0.014
127	0.050	509	0.012
638	0.044	508	0.017
637	0.153	506	0.012
636	0.040	505	0.028
615	0.072	500	0.053
614	0.073	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.713
610	0.031	ब—म. प्र. शासन की भूमि	
607	0.036	550	0.007
608	0.013	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.007
606	0.048	अ+ब का योग	1.720
602	0.033	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता	
601	0.031	है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21” में आने	
600	0.035	वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के	
589	0.055	अर्जन हेतु.	
572	0.024	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
571	0.008	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया	
570	0.023	जा सकता है.	
569	0.014	पत्र क्र. 945-प्रका.-भू-अर्जन-20 . . . .—चूंकि, राज्य शासन	
567	0.015	को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के	
566	0.061	पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	
557	0.029	भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
559	0.002	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का	
558	0.004	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,	
1122/558	0.024	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित	
544	0.040	सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
542	0.026	अनुसूची	
1119/539	0.009	(1) भूमि का वर्णन—	
540	0.002	(क) जिला—रीवा	
443	0.001	(ख) तहसील—सिरमौर	
1118/539	0.013	(ग) ग्राम—सड़वा-522	
444	0.006	(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.169 हेक्टेयर.	
441	0.026	खसरा नं.	अर्जित रकबा
438	0.002	(1)	(हे. में)
1113/445	0.016	(2)	
445	0.018	अ-निजी पट्टे की भूमि	
457	0.021	38	0.025
458	0.181	46	0.007
465	0.058	44	0.041
466	0.017	42	0.007
468	0.029		
539	0.010		
534	0.014		
533	0.060		
514	0.038		

(1)	(2)
41	0.036
40	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.117
<b>ब—म. प्र. शासन की भूमि</b>	
65	0.010
43	0.042
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.052
अ+ब का योग	0.169
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पत्र क्र. 947-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—डिहिया-208  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.808 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
184	0.001
175	0.080
176	0.002
177	0.015
183	0.015
180	0.110
188	0.053

(1)	(2)
142	0.040
140	0.032
141	0.044
127	0.085
128	0.001
129	0.010
130	0.025
132	0.008
105	0.004
112	0.032
113	0.009
111	0.037
110	0.003
97	0.004
94	0.010
95	0.015
92	0.010
90	0.069
89	0.047
91	0.007
84	0.001
83	0.031

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.800

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

1 0.008

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.008

अ+ब का योग 0.808

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 949-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—मझपटिया-454  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.838 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
145	0.042
150	0.048
133	0.062
134	0.063
135	0.001
128	0.041
127	0.018
81	0.030
75	0.017
74	0.017
77	0.004
73	0.015
72	0.021
71	0.035
70	0.035
156	0.022
58	0.063
57	0.031
54	0.087
30	0.015
53	0.014
34	0.001
37	0.043
35	0.043
9	0.032
8	0.032

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.832

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

129 0.006

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.006

अ+ब का योग 0.838

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती

नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 951-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—पोड़ी-324  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.077 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
19	0.058
12	0.013
11	0.006
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.077
<b>ब—म. प्र. शासन की भूमि</b>	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 953-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—सोनवर्षा, ख 564  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.348 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
133	0.047
131	0.002
132	0.043
128	0.061
126	0.021
123	0.017
122	0.016
121	0.006
120	0.023
119	0.018
96	0.003
100	0.007
101	0.031
102	0.016
103	0.018
104	0.005
115	0.014
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.348

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग	0.348

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 955-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—तारी खुर्द  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.410 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
164	0.015
160	0.033
153	0.244
152	0.006
143	0.112
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.410
<b>ब—म. प्र. शासन की भूमि</b>	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग	0.410

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 957-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—सोनवर्षा, क 563  
(घ) क्षेत्रफल—0.158 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

384	0.027
383	0.030
382	0.025
378	0.031
360	0.002
359	0.024
379	0.013

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.152

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

593	0.006
-----	-------

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.006

अ+ब योग 0.158

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 959-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा

- (ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—देवहटा-251  
(घ) क्षेत्रफल—0.806 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

22	0.032
21	0.031
20	0.026
19	0.042
18	0.045
17	0.023
122	0.024
126	0.003
127	0.002
128	0.122
133	0.087
208/284	0.040
206	0.012
203	0.022
192	0.003
201	0.007
197	0.035
194	0.074
195	0.001
188	0.035
187	0.007
184	0.034
229	0.006
227	0.010
228	0.002

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.725

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

202	0.064
16	0.017

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.081

अ+ब योग 0.806

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 21” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया



जा सकता है.

पत्र क्र. 961-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगावां  
(ग) ग्राम—वगहिया-364  
(घ) क्षेत्रफल—0.140 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

2	0.073
3	0.037
4	0.015
5	0.015

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.140

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000  
अ+ब योग 0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 19” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 963-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगावां  
(ग) ग्राम—पहरखां-294  
(घ) क्षेत्रफल—3.071 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

1844	0.012
1848	0.017
1849	0.033
1851	0.068
1829	0.044
1828	0.046
1831	0.053
1812	0.044
1811	0.060
1813	0.031
1815	0.033
1816	0.034
1810	0.028
1805	0.025
1804	0.027
1803	0.037
1642	0.016
1772	0.050
1771	0.042
1644	0.028
1789	0.002
1790	0.063
1643	0.017
1650	0.114
1657	0.065
1658	0.001
1464	0.067
1796	0.039
1797	0.056



पत्र क्र. 965-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—ऊँचा टोला-36  
(घ) क्षेत्रफल—0.876 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
76	0.002
75	0.168
74	0.022
73	0.080
20	0.132
14	0.259
7	0.101
6	0.112

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.876

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000  
अ+ब का योग 0.876

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 967-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—मढ़ा पाण्ड-431  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.133 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)

(2)

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

68	0.032
70	0.013
71	0.025
69	0.063

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.133

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000  
अ+ब का योग 0.133

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 969-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां

- (ग) ग्राम—तेलिया-231  
(घ) क्षेत्रफल—0.518 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
35	0.039
40	0.195
10	0.067
9	0.098
8	0.111
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.510
	ब-म. प्र. शासन की भूमि
45	0.005
46/8	0.003
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.008
अ+ब का योग	0.518

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 971-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां

- (ग) ग्राम—शिवराजपुर-550  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.187 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
99	0.061
89	0.100
90	0.021
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.182
	ब-म. प्र. शासन की भूमि
190	0.005
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.005
अ+ब का योग	0.187

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 973-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—गंगेव न.-3, 122  
(घ) क्षेत्रफल—0.822 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
4	0.172
5	0.160
6	0.228

(1)	(2)
7	0.262
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.822

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब योग	0.822

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 975-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—तेलिया-232  
(घ) क्षेत्रफल—0.465 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
14	0.047
13	0.076
6	0.012
7	0.072
8	0.067
47	0.112
44	0.075
46	0.004

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.465

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब योग	0.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 977-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—बुसौली नं. 4, 383  
(घ) क्षेत्रफल—0.278 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
8	0.166
9	0.112

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.278

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब योग	0.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 मई 2018

पत्र क्र. 985-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—शाहा  
(घ) क्षेत्रफल—0.572 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
376/1ख	0.100	-
376/3	0.077	-
429/1	0.029	-
429/2	0.024	-
430	0.022	-
427	0.115	-
428	0.038	-
436	0.047	-
437	0.084	-
438	0.036	-
कुल योग . .	0.572	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मगगवॉ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 987-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर

- (ग) ग्राम—बारी कला  
(घ) क्षेत्रफल—6.215 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
62	0.008	-
63	0.068	-
64	0.158	-
65	0.154	-
66	0.032	-
69/1क	0.012	-
69/1ख	0.116	-
69/518/1	0.243	-
106/1	0.038	-
106/2	0.154	-
107/1	0.223	-
108	0.211	-
133	0.194	-
134/1	0.120	-
134/2	0.046	-
135	0.116	-
137	0.015	-
140	0.057	-
141	0.030	-
142/1	0.005	-
142/2	0.122	-
144	0.118	-
342/3/6क	0.109	-
342/3/ख	0.034	-
342/4	0.015	-
354	0.048	-
359	0.204	-
360	0.240	-
361	0.056	-
363	0.028	-
368	0.150	-
369	0.142	-
370	0.105	-
371	0.105	-
372	0.112	-
387/1/क	0.125	-

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—उमरी		
387/1/ख	0.275	-	(घ) क्षेत्रफल—1.194 हेक्टेयर.		
387/2	0.021	-	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में	
388	0.380	-		निजी भूमि	शासकीय भूमि
389/1	0.043	-	(1)	(2)	(3)
389/2	0.032	-	146	0.051	-
390	0.101	-	151	0.243	-
392	0.028	-	153	0.032	-
435/1/क	0.065	-	155/1	0.050	-
435/1/ख	0.051	-	155/2	0.010	-
435/1/ग	0.065	-	155/3	0.202	-
435/2	0.004	-	155/5	0.020	-
439	0.220	-	155/7	0.010	-
442/1/क	0.036	-	155/3/क/1/2	0.161	-
442/2	0.008	-	156/4	0.010	-
443/1/क/1	0.335	-	156/6	0.010	-
443/क/2	0.304	-	156/7	0.024	-
443/1/ख	0.142	-	157/1	0.150	-
444/1/ख	0.015	-	157/3क/1/1	0.100	-
444/2	0.010	-	157/7/ख	0.097	-
445	0.169	-	159	0.024	-
314/2	0.176	-	कुल योग . . .	1.194	
451	0.022	-			
कुल योग . . .	6.215				

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मगगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 989-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मगगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 991-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) ग्राम—नीमी

(घ) क्षेत्रफल—4.079 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
207/3	0.121	-
209/3	0.153	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
211	0.238	-	403	0.024	-
212	0.024	-	404	0.405	-
219/1	0.119	-	405	0.002	-
219/2	0.119	-	406	0.030	-
220	0.028	-	410	0.096	-
221/1/ख	0.011	-	411	0.096	-
221/1/ग	0.158	-	414/1	0.054	-
221/2	0.216	-	414/3	0.280	-
245	0.910	-	415	0.160	-
249/1/क	0.024	-	460	0.060	-
250/1	0.502	-	461/1/क	0.393	-
255	0.720	-	462/2	0.170	-
260	0.016	-	462/4	0.120	-
262	0.072	-	784/1	0.040	-
263	0.648	-	784/2	0.040	-
कुल योग . . .	4.079		797	0.320	-
			798	0.032	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मगगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			799/1	0.056	-
			799/2	0.146	-
			799/3	0.051	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			800/1	0.010	-
			800/3	0.150	-
			803/2	0.072	-
			804/2	0.096	-
			807/1	0.180	-
			807/2	0.180	-
			807/3	0.184	-
			867	0.145	-
			868/1	0.150	-
			869/2	0.080	-
			869/3	0.050	-
			869/4	0.050	-
			870/1	0.081	-
			870/2	0.101	-
			871	0.129	-
			872/1	0.010	-
			873/1क/1क	0.024	-
			874	0.140	-
			889	0.010	-
			890	0.324	-
			कुल योग . . .	5.686	
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मगगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
	निजी भूमि	शासकीय भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
(1)	(2)	(3)			
384		0.043			
385	0.360	-			
391	0.040	-			
392	0.100	-			
394	0.220	-			
395/1	0.182	-			



पत्र क्र. 995-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—निरंजनपुर  
(घ) क्षेत्रफल—1.777 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
20	0.160	-
21	0.140	-
22	0.286	-
25	0.040	-
26	0.010	-
28	0.202	-
30/3	0.012	-
31/80/1	0.074	-
31/80/2	0.080	-
31/80/5	0.096	-
31/80/6	0.064	-
31/80/7	0.163	-
32	0.205	-
38	0.006	-
39	0.028	-
40	0.128	-
41	0.016	-
79	0.067	-
कुल योग	1.777	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मगगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 997-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—पुरैनी  
(घ) क्षेत्रफल—3.887 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
9	0.048	-
13	0.028	-
21/1	0.360	-
21/2	0.238	-
22	0.165	-
23/2	0.074	-
38/2	0.020	-
39/2	0.038	-
39/3	0.308	-
39/325/1	0.075	-
39/325/2	0.249	-
39/325/4	0.150	-
40/1	0.032	-
41/1/ग	0.047	-
42/2	0.118	-
53/2/ङ	0.008	-
54/1	0.262	-
62	0.180	-
64	0.007	-
65	0.005	-
66	0.373	-
67	0.014	-
68	0.093	-
69	0.040	-
70	0.042	-
71	0.005	-
92/1क	0.080	-
92/1ख	0.009	-
96	0.018	-
97/1	0.031	-
98/1/क	0.018	-
98/1ख	0.018	-
100/1	0.367	-
100/2	0.367	-
कुल योग	3.887	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मगगवाँ शाखा नहर निर्माण" में

आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 मई 2018

पत्र क्र. 999-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान  
(ग) ग्राम—रायपुर-549  
(घ) क्षेत्रफल—2.037 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
138	0.115
136	0.021
135	0.143
118	0.005
117	0.066
101	0.011
100	0.084
102	0.175
104	0.112
105	0.019
68	0.198
69	0.012
66	0.210
65	0.009
333	0.006
335	0.240
334	0.026
339	0.082
341	0.147
344	0.166
350	0.049
351	0.045
1240/2/1	0.029
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .	1.970

#### ब—म. प्र. शासन की भूमि

137	0.010
134	0.008
64	0.022
343	0.017
349	0.010

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.067

अ+ब का योग 2.037

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1001-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान  
(ग) ग्राम—रौरा-563  
(घ) क्षेत्रफल—1.190 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
474	0.022
473	0.068
472	0.026
476	0.072
467	0.010
468	0.035
465	0.014
464	0.016
463	0.008
469	0.076
459	0.010
458	0.074
457	0.076
456	0.001
455	0.018
271	0.005

(1)	(2)
272	0.162
275	0.010
276	0.025
21	0.027
20	0.101
19	0.126
18	0.009
35	0.048
34	0.077
66	0.014
40	0.031
65	0.005
42	0.009
3	0.015
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.190

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग	1.190

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1003-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान  
(ग) ग्राम—पतौना 338  
(घ) क्षेत्रफल—0.735 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
118	0.054
122	0.036
121	0.014

**अ-निजी पट्टे की भूमि**

(1)	(2)
103	0.127
104	0.022
105	0.167
113	0.016
106	0.010
107	0.157
112	0.047
108	0.007
110	0.047
109	0.031

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.735

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग	0.735

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 17” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1005-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—नइगढ़ी  
(ग) ग्राम—डाढ़-387  
(घ) क्षेत्रफल—1.293 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
147	0.051
148	0.057
146	0.076
124	0.130

**अ-निजी पट्टे की भूमि**

(1)	(2)
121	0.058
128	0.002
94	0.097
100	0.021
99	0.070
102	0.014
103	0.035
163/103	0.012
104	0.057
68	0.087
155	0.002
69	0.111
65	0.034
72	0.010
73	0.050
74	0.021
75	0.027
76	0.023
18	0.025
19	0.078
153	0.027
20	0.002
17	0.003
154/13	0.030

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 1.210

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

117	0.007
120	0.076

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.083

अ+ब का योग 1.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1007-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—तखत टोला-221  
(घ) क्षेत्रफल—0.463 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

**अ-निजी पट्टे की भूमि**

2	0.064
6	0.054
7	0.057
8	0.009
17	0.023
16	0.013
15	0.074
19	0.019
41	0.056
24	0.025
27	0.020
38	0.006
39	0.043

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.463

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग 0.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1009-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—नईगढ़ी  
(ग) ग्राम—गेरुआरी-242  
(घ) क्षेत्रफल—0.168 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
7	0.038
10	0.081
11	0.001
15	0.031
16	0.011

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.162

### ब—म. प्र. शासन की भूमि

1 0.006

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.006

अ+ब का योग 0.168

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1011-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—सथिनी-527

(घ) क्षेत्रफल—0.351 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
1648	0.007
1652	0.006
558	0.011
559	0.020
894	0.129
164	0.178

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.351

### ब—म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग 0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 3” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1013-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मनगवां  
(ग) ग्राम—हिनौता-587  
(घ) क्षेत्रफल—1.253 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
257	0.044
258	0.010
256	0.054

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1)	(2)		
265	0.122		
268	0.030		
269	0.037		
270	0.060		
47	0.151	(1) भूमि का वर्णन—	
42	0.025	(क) जिला—रीवा	
39	0.032	(ख) तहसील—मनगवां	
38	0.024	(ग) ग्राम—पुरवा-310	
35	0.026	(घ) क्षेत्रफल—1.088 हेक्टेयर.	
31	0.051	खसरा नं.	अर्जित रकबा
30	0.064		(हे. में)
27	0.027	(1)	(2)
25	0.022	<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
24	0.021	706/582	0.017
23	0.026	582	0.003
21	0.024	581	0.021
20	0.009	580	0.025
19	0.074	230	0.006
14	0.022	578	0.003
12	0.031	677/235	0.026
15	0.022	235	0.041
10	0.033	236	0.024
9	0.032	237	0.014
3	0.058	240	0.020
2	0.024	553	0.002
1	0.098	552	0.024
		550	0.016
		551	0.002
		551	0.013
		282	0.003
		283	0.036
		286	0.003
		281	0.006
		287	0.035
		532	0.002
		530/2	0.028
		530/1	0.015
		530/3	0.002
		529	0.038
		536	0.005
		525	0.047
		524	0.005
		514	0.022
		515	0.030
		508	0.024
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.253		
<b>ब—म. प्र. शासन की भूमि</b>			
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000		
अ+ब का योग	1.253		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			

पत्र क्र. 1015-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

(1)	(2)
507	0.018
702/496	0.002
496	0.043
414	0.002
415	0.003
701/402	0.005
416	0.057
417	0.026
418	0.001
420	0.025
421	0.022
422	0.025
423	0.030
426	0.018
427	0.017
459	0.002
428	0.005
457/2	0.020
442	0.035
441	0.020
432	0.012
433	0.010
436	0.029
443	0.003
1	0.024
2	0.058
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.070</u>

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

531	0.010
239	0.008
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.018</u>
अ+ब का योग	<u>1.088</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 एवं 12 सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1017-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—मनगवां  
 (ग) ग्राम—बुसौली नं. 1, 380  
 (घ) क्षेत्रफल—0.086 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1) (2)

**अ-निजी पट्टे की भूमि**

137	0.003
143	0.060
264/158	0.023

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.086

**ब—म. प्र. शासन की भूमि**

म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . . 0.086

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 मई 2018

पत्र क्र. 1065-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—जवा  
 (ग) ग्राम—गाड़ा पवाई  
 (घ) क्षेत्रफल—3.996 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

8 0.155

(1)	(2)	(3)	अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		
10	0.175	-	अनुसूची		
12	0.246	-			
54	0.226	-			
55	0.031	-			
56	0.177	-	(1) भूमि का वर्णन—		
60	0.128	-	(क) जिला—रीवा		
61	0.202	-	(ख) तहसील—जवा		
63	0.293	-	(ग) ग्राम—चौखण्डी 187		
64	0.227	-	(घ) क्षेत्रफल—5.328 हेक्टेयर.		
102	0.004	-	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में	
103	0.102	-		निजी भूमि	शासकीय भूमि
104	0.161	-	(1)	(2)	(3)
105	0.176	-	(अ) निजी पट्टे की भूमि		
106	0.110	-	120	0.007	-
137	0.124	-	126	0.006	-
138	0.174	-	128	0.133	-
240	0.251	-	137	0.099	-
241	0.020	-	138	0.037	-
315	0.103	-	139	0.038	-
316	0.312	-	140	0.040	-
546	0.008	-	148	0.022	-
552	0.197	-	149	0.081	-
553	0.138	-	150	0.121	-
557	0.094	-	151	0.010	-
558	0.099	-	152	0.137	-
560	0.063	-	153	0.081	-
योग . . .	3.996	-	154	0.041	-
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक	165	0.060	-
महायोग . . .	3.996	-	166	0.077	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योथर बहाव नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			170	0.249	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			171	0.074	-
			174	0.043	-
			175	0.045	-
			177	0.010	-
			190	0.013	-
			203	0.085	-
			204	0.072	-
			207	0.094	-
			208	0.080	-
			227	0.073	-
			244	0.002	-
			246	0.125	-
			247	0.109	-
			273	0.111	-
			277	0.166	-
			278	0.037	-
			288	0.113	-
			289	0.026	-
			303	0.009	-

पत्र क्र. 1067-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
305	0.025	-	1347	0.047	-
312	0.173	-	1365	0.014	-
313	0.062	-	1367	0.072	-
597	0.014	-	1368	0.004	-
602	0.125	-	1371	0.046	-
618	0.040	-	1372	0.060	-
619	0.024	-	1373	0.061	-
621	0.076	-	1375	0.068	-
622	0.018	-	1376	0.006	-
725	0.008	-	1381	0.039	-
729	0.017	-	1382	0.084	-
730	0.019	-	1383	0.094	-
731	0.044	-	1019/1400	0.094	-
732	0.041	-	योग . .	<u>5.269</u>	-
740	0.041	-			
743	0.066	-			
789	0.009	-			
880	0.019	-			
889	0.065	-			
890	0.008	-			
891	0.077	-			
892	0.028	-			
894	0.038	-			
940	0.009	-			
941	0.015	-			
944	0.040	-			
945	0.023	-			
946	0.048	-			
949	0.012	-			
950	0.120	-			
984	0.042	-			
985	0.058	-			
986	0.049	-			
987	0.006	-			
988	0.063	-			
989	0.019	-			
1013	0.027	-			
1014	0.036	-			
1015	0.018	-			
1016	0.041	-			
1017	0.041	-			
1021	0.034	-			
1022	0.045	-			
1024	0.032	-			
1025	0.055	-			
1030	0.045	-			
1031	0.046	-			
1034	0.041	-			
1035	0.052	-			

**(ब) शासकीय भूमि**

226	-	0.011
228	-	0.014
304	-	0.012
741	-	0.004
951	-	0.009
312/1396	-	0.009
योग . .		<u>0.059</u>
महायोग . .		<u>5.328</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योथर बहाव नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1069-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

- (ग) ग्राम—कोनी कला  
(घ) क्षेत्रफल—0.228 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
522/8	0.228	-
योग . .	0.228	-
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.228	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1071-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—बराह  
(घ) क्षेत्रफल—0.020 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
177	0.020	-
योग . .	0.020	-
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.020	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1073-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—खम्हरिया 110  
(घ) क्षेत्रफल—2.081 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
13	0.100	-
19	0.120	-
21	0.103	-
26	0.095	-
27	0.150	-
29	0.057	-
30	0.083	-
73	0.042	-
74	0.063	-
81	0.011	-
82	0.076	-
83	0.020	-
84	0.066	-
114	0.068	-
115	0.083	-
116	0.036	-
117	0.052	-
118	0.051	-
169	0.072	-
170	0.071	-
189	0.009	-
190	0.008	-
211	0.043	-
212	0.096	-
213	0.082	-
214	0.039	-
215	0.036	-

(1)	(2)	(3)
216	0.080	-
230	0.004	-
231	0.050	-
233	0.048	-
234	0.002	-
235	0.067	-
236	0.098	-
योग . .	<u>2.081</u>	-

(ब) शासकीय भूमि - निरंक

महायोग . . 2.081

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योथर बहाव नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 1 जून 2018

क्र. 1081-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—जवा  
 (ग) ग्राम—पुरौना  
 (घ) क्षेत्रफल लगभग —0.059 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
	<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>
8/2	0.053
9/1	0.006
योग . .	<u>0.059</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "महाना वितरक नहर की माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1083-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—जवा  
 (ग) ग्राम—पटहट  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.323 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
	<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>
256	0.107
257	0.137
259	0.042
योग (अ) . .	<u>0.286</u>

### ब—शासकीय पट्टे की भूमि

258	0.037
योग (ब)	<u>0.037</u>
योग (अ+ब) . .	<u>0.323</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "महाना वितरक नहर की माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1085-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—जवा

- (ग) ग्राम—लूक न. 1  
(घ) क्षेत्रफल—0.700 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
197	0.201
206	0.038
266	0.137
1310	0.020
1209	0.079
1210	0.122
1232	0.103
योग . . . 0.700	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "महाना वितरक नहर की माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1087-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—इटमा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.027 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
925	0.027
योग . . . 0.027	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "महाना वितरक नहर की माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1089-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—भड़रा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.696 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
321	0.283
322	0.279
323	0.030
390	0.019
391	0.006
398	0.016
408	0.014
409	0.016
411	0.014
414	0.012
योग (अ) . . . 0.689	

#### ब—शासकीय पट्टे की भूमि

383	0.007
योग (ब) . . . 0.007	
योग . . . 0.696	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "महाना वितरक नहर की माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 2 जून 2018

पत्र क्र. 1093-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर  
(ग) ग्राम—बडागांव  
(घ) क्षेत्रफल—0.962 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
206	0.048	-
224	0.037	-
225	0.028	-
226	0.086	-
227	0.013	-
233	0.016	-
234	0.056	-
235	0.028	-
236	0.029	-
237	0.084	-
257	0.044	-
258	0.030	-
259	0.022	-
260	0.045	-
261	0.005	-
262	0.024	-
266	0.039	-
267	0.055	-

(1)	(2)	(3)
268	0.014	-
272	0.048	-
273	0.060	-
274	0.040	-
281	0.029	-
312	0.067	-
511	0.015	-

कुल योग . . . 0.962

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर नहर संभाग सिरमौर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1095-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर  
(ग) ग्राम—कोनी खुर्द  
(घ) क्षेत्रफल—1.494 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर) में	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
180	0.014	-
231	0.115	-
236	0.168	-
348	0.163	-
354	0.112	-
355	0.334	-
356	0.288	-
376	0.054	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
377	0.058	-	773/1	0.078
382	0.040	-	668/2	0.055
383	0.020	-	691/3	0.044
385	0.040	-	773/3	0.140
386	0.088	-	768/4	0.055
कुल योग . .1.494			691/5	0.044
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योथर नहर संभाग सिरमौर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			768/5	0.055
			760	0.340
			770	0.085
			789	0.520
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			776	1.419
			778/1	0.789
			784	0.024
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.			781/2ख	0.200
			687/1	0.761
			691/1	0.044
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			777/1	0.494
			773/2	0.147
शहडोल, दिनांक 4 जून 2018			665/3	0.170
			777/3	0.493
क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-2017-18-2999.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-			773/4	0.148
			749/5	1.049
			771/2	0.125
			773/5	0.148
			764	0.045
			769	0.085
			774/2	0.809
			779	2.898
अनुसूची			778/2	0.804
(1) भूमि का वर्णन—			790	0.263
(क) जिला—शहडोल			782/1	0.405
(ख) तहसील—सोहागपुर			687/2	0.219
(ग) ग्राम—बंधवाबड़ा			768/1	0.055
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.752 हेक्टर.			691/2	0.044
खसरा क्रमांक			777/2	0.494
रकबा (हेक्टर में)			668/3	0.055
(1)	(2)		691/4	0.044
686	0.395		777/4	0.493
688	0.301			

(1)	(2)	(1)	(2)
765/5	0.020	191/4	0.101
777/5	0.493	192/2	0.352
767	0.036	193/8/क	0.203
771/1	0.125	176/2	0.071
775	0.094	178/3	1.214
785	1.717	178/5	0.405
781/1	0.059	178/8	1.618
781/2	0.146	182	0.151
78/2	0.226	191/2	0.303
कुल रकबा . .	<u>17.752</u>	193/2	0.301
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—केलमनिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु.		193/8/ख	0.203
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.		177	0.506
		178/4/1	0.325
		178/6	2.000
		178/9	0.405
		190	0.101
		192/1	0.352
		193/3	0.301
		199/2	0.101
		कुल रकबा . .	<u>11.833</u>
क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-2017-18-3000.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—केलमनिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
		कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
		मण्डला, दिनांक 11 जून 2018	
		क्र. भू-अर्जन-01-(अ-82)-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार	

कुल रकबा . . 17.752

कुल रकबा . . 11.833

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल  
(ख) तहसील—सोहागपुर  
(ग) ग्राम—केलमनिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—11.833 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
171/1	0.263
178/2	1.214
178/4/2	0.080
178/7	0.729
181	0.534

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 11 जून 2018

क्र. भू-अर्जन-01-(अ-82)-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-		(1)	(2)
अनुसूची		49	0.290
(1) भूमि का वर्णन—		46	2.000
(क) जिला—मण्डला		47	0.130
(ख) तहसील—निवास		50	2.000
(ग) ग्राम—गढ़ बिसौरा प.ह.नं. 57		52	0.080
(घ) क्षेत्रफल—62.771 हेक्टर.		58	0.120
खसरा नम्बर	रकबा	59	0.140
(1)	(हे. में)	60	0.230
16	1.000	62	0.061
17	0.180	72	0.830
19	1.010	73	0.640
21	1.820	75	0.640
22	0.750	78	5.270
25	1.340	79	0.500
87	2.750	88	1.150
89	2.230	81	0.700
119	0.400	126	0.050
292	3.500	82	1.000
28	1.800	93	0.050
80	0.690	94	0.060
34	1.480	83	0.270
397	0.800	84	0.280
398	0.200	85	0.010
400	1.100	91	0.160
401	0.150	92	0.300
1	0.530	86	1.000
2	1.850	90	0.440
74	0.870	114	0.570
3	0.870	120	0.240
10	0.100	125	0.080
4	1.440	122	0.150
8	0.450	123	0.150
11	0.800	124	0.340
40	0.940	282	0.030
41	0.860	283	0.400
294	0.240	284	0.900
43	0.850	286	4.180
45	1.500	287	3.480
		449	0.210
		285	1.140
		योग . . .	<u>62.771</u>



(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र हेतु.	(1)	(2)
	8	0.750
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.mandla.nic.in">www.mandla.nic.in</a> व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखी जा सकती है.	229	0.200
	232	0.240
	233	1.550
	234	0.730
	320	0.870
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), निवास के कार्यालय में या कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	235	0.400
	236	0.420
	245	0.250
	247	0.300
क्र. भू-अर्जन-02-(अ-82)-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-	325	0.170
	246	0.300
	321	0.140
	324	0.570
	327	0.290
	329	0.250
	330	1.100

## अनुसूची

योग . . 21.280

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—निवास  
(ग) ग्राम—खम्हरिया टोला, प.ह.नं. 57  
(घ) क्षेत्रफल—21.280 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
17	0.750
18	0.800
248	0.720
19	0.930
21	1.800
14	0.560
216	0.250
4	1.700
217	0.850
218	0.530
3	1.500
5	0.620
6	0.700
7	0.800
231	0.240

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), निवास के कार्यालय में या कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-03-(अ-82)-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—निवास

(ग) ग्राम—खरखरा, प.ह.नं. 57		(ग) ग्राम—जलधरा, प.ह.नं. 57	
(घ) क्षेत्रफल—5.045 हेक्टर.		(घ) क्षेत्रफल—25.210 हेक्टर.	
खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
220	0.860	4	0.400
223	0.125	5	0.490
224	0.320	6	0.490
225/2	0.200	22	0.430
227	0.220	238	0.250
228	0.250	21	0.150
229	0.270	186	0.15
232	0.310	237	0.300
229/2	1.230	128	0.270
230	0.260	193	0.140
231	0.260	129	0.260
233	0.400	131	0.350
234	0.340	130	0.240
योग . . .	5.045	195	0.140
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र हेतु.		144	0.360
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.mandla.nic.in">www.mandla.nic.in</a> व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देखी जा सकती है.		148	0.320
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), निवास के कार्यालय में या कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		145	0.140
		154	0.900
		146	0.420
		149	0.160
		147	0.320
		194	0.140
		150/2	0.380
क्र. भू-अर्जन-04-(अ-82)-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		163/2	0.190
		152	0.400
		153	0.540
		155	0.960
		157/1	2.640
		157/2	2.500
		157/3	2.500
		158/1	0.070
		158/2	0.070
		159	0.330
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—मण्डला			
(ख) तहसील—निवास			

(1)	(2)
190	0.130
161	0.210
162	0.160
166	1.350
165	1.570
167	0.280
196	0.270
168	0.250
169	0.300
170	0.300
187	0.170
200	0.630
188	0.290
197	0.450
198/1	0.050
198/2	0.050
201	0.450
204	0.300
224/2	0.600
योग . .	<u>25.210</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), निवास के कार्यालय में या कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-05-(अ-82)-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला  
(ख) तहसील—निवास  
(ग) ग्राम—भानपुर टोला प.ह.नं. 47  
(घ) क्षेत्रफल—2.840 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10	0.560
11	0.220
12	0.560
13	0.140
14	0.570
15	0.340
16	0.200
20	0.150
21	0.100
योग . .	<u>2.840</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in) व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), निवास के कार्यालय में या कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सूफिया फारूकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

//सूचना//

क्रमांक एफ 3-79/2018/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1681/टी.सी./02/नग्रानि/2017 भोपाल दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार एवं संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त धारा की उपधारा (2) प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	विकास योजना 2005 में निर्दिष्ट उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क(1)क के अंतर्गत उपांतरित किये जाने वाले भूमि का उपयोग	अधिकतम एफ.ए. आर		अधिकतम फुर्सी क्षेत्र (%)		भवनों की अधिकतम उचाई (मीटर)	
						विकास योजना 2005 में प्रस्तावित	ए.बी.डी. में प्रस्तावित	विकास योजना 2005 में प्रस्तावित	ए.बी.डी. में प्रस्तावित	विकास योजना 2005 में प्रस्तावित	ए.बी.डी. में प्रस्तावित
1	कोटरा सुल्तानाबाद	34	1026.122	आवासीय	30 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
2	कोटरा सुल्तानाबाद	34	365.847	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45

3	कोटरा सुल्तानाबाद	34	111.606	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1	1	25	40	18	45
4	कोटरा सुल्तानाबाद	34	1418.899	मार्ग	अनोद प्रमोद 30 m चौड़ा मार्ग	--	0.05	--	5	--	--
5	कोटरा सुल्तानाबाद	35	98.077	आवासीय	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
6	कोटरा सुल्तानाबाद	35	207.702	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
7	कोटरा सुल्तानाबाद	36	1150.613	आवासीय	12/30/45 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
8	कोटरा सुल्तानाबाद	36	2642.554	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
9	कोटरा सुल्तानाबाद	36	713.272	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
10	कोटरा सुल्तानाबाद	112	445.606	आवासीय	18 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
11	कोटरा सुल्तानाबाद	112	1034.84	आवासीय	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1.25	1	30	40	18	45
12	कोटरा सुल्तानाबाद	112	297.583	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	75
13	कोटरा सुल्तानाबाद	113	4259.016	आवासीय	18 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
14	कोटरा सुल्तानाबाद	113	4964.764	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	2	30	40	18	30
15	कोटरा सुल्तानाबाद	113	2696.991	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	75

16	कोटरा सुल्तानाबाद	113	8786.307	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	30
17	कोटरा सुल्तानाबाद	114	6754.333	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
18	कोटरा सुल्तानाबाद	114	8399.568	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	40	18	30
19	कोटरा सुल्तानाबाद	114	5377.3	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--
20	कोटरा सुल्तानाबाद	114	7287.526	45/24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
21	कोटरा सुल्तानाबाद	108	692.68	18 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
22	कोटरा सुल्तानाबाद	115	7585.751	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	30
23	कोटरा सुल्तानाबाद	115	33378.501	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--
24	कोटरा सुल्तानाबाद	115	9688.238	24/18 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
25	कोटरा सुल्तानाबाद	115	4685.751	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय	1.25	2	30	40	18	30
26	कोटरा सुल्तानाबाद	115	2121.279	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
27	कोटरा सुल्तानाबाद	101	3072.902	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--

28	कोटरा सुल्तानाबाद	101	8564.001	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
29	कोटरा सुल्तानाबाद	119	1210.224	24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
30	कोटरा सुल्तानाबाद	119	8533.982	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
31	कोटरा सुल्तानाबाद	120	2391.882	24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
32	कोटरा सुल्तानाबाद	120	8040.791	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
33	कोटरा सुल्तानाबाद	126	2164.621	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
34	कोटरा सुल्तानाबाद	126	965.663	30 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
35	कोटरा सुल्तानाबाद	128	9362.988	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
36	कोटरा सुल्तानाबाद	128	2228.284	24/12 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
37	कोटरा सुल्तानाबाद	128	5583.151	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
38	कोटरा सुल्तानाबाद	128	1459.393	18 m चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक	1.75	--	30	--	18	--
39	कोटरा सुल्तानाबाद	128	5905.339	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	2.5	30	50	18	75

40	कोटरा सुल्तानाबाद	128	3974.926	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	3	30	50	18	75
41	कोटरा सुल्तानाबाद	130	308.317	आवासीय	वाणिज्यिक	1.75	2.5	30	50	18	75
42	कोटरा सुल्तानाबाद	130	4313.128	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	2.5	30	50	18	75
43	कोटरा सुल्तानाबाद	133	1609.822	आवासीय	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1.25	2	30	40	18	45
44	कोटरा सुल्तानाबाद	133	5318.698	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	75
45	कोटरा सुल्तानाबाद	133	3359.473	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	2	30	40	18	45
46	कोटरा सुल्तानाबाद	121	479.403	आवासीय	24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
47	कोटरा सुल्तानाबाद	121	530.597	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	40	18	45
48	कोटरा सुल्तानाबाद	122	2416.839	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	40	18	75
49	कोटरा सुल्तानाबाद	122	1513.16	आवासीय	30 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
50	कोटरा सुल्तानाबाद	123	774.63	आवासीय	30/24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--



51	कोटरा सुल्तानाबाद	123	885.369	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
52	कोटरा सुल्तानाबाद	124	1782.309	30/24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
53	कोटरा सुल्तानाबाद	124	4697.691	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
54	कोटरा सुल्तानाबाद	118	2650.88	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
55	कोटरा सुल्तानाबाद	118	1550.629	45 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
56	कोटरा सुल्तानाबाद	118	10248.492	आवासीय	आवासीय	1.25	2	30	50	18	30
57	कोटरा सुल्तानाबाद	116	837.24	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	3	30	50	18	75
58	कोटरा सुल्तानाबाद	116	911.9	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--
59	कोटरा सुल्तानाबाद	116	4720.859	45 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
60	कोटरा सुल्तानाबाद	117	3171.879	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	30
61	कोटरा सुल्तानाबाद	117	7115.192	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
62	कोटरा सुल्तानाबाद	117	1620.788	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--

63	कोटरा सुल्तानाबाद	117	2363.1978	आवासीय	45/24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
64	कोटरा सुल्तानाबाद	117	5958.942	आवासीय	आवासीय	1.25	2	30	50	18	30
65	कोटरा सुल्तानाबाद	125	3758.874	आवासीय	30/24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
66	कोटरा सुल्तानाबाद	125	4611.125	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
67	भोपाल शहर	1416	37879.822	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
68	भोपाल शहर	1416	32530.465	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	50	18	75
69	भोपाल शहर	1416	11269.62	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	24
70	भोपाल शहर	1416	13817.068	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	2.5	30	40	18	45
71	भोपाल शहर	1416	18388.249	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	5	18	--
72	भोपाल शहर	1416	59389.078	आवासीय	45/30/18/12 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
73	भोपाल शहर	1416	5630.762	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय	1	2.5	25	50	18	45
74	भोपाल शहर	1416	12124.689	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक एवं सेवाएँ एवं सुविधायें	1	1	25	40	18	30
75	भोपाल शहर	1416	451.437	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	अमोद प्रमोद	1	0.05	25	10	18	--
76	भोपाल शहर	1416	994.147	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	30 m चौड़ा मार्ग	1	--	25	--	18	--

77	भोपाल शहर	1416	753.907	अमोद प्रमोद 30 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	--	2.5	--	50	--	45
78	भोपाल शहर	1416	7648.633	30 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	--	2.5	--	50	--	45
79	भोपाल शहर	1416	398.699	30 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	--	2.5	--	50	--	75
80	भोपाल शहर	1416	4150.811	30 m चौड़ा मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	--	2.5	--	40	--	45
81	भोपाल शहर	1416	8157.921	30 m चौड़ा मार्ग	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	5	--	--
82	भोपाल शहर	1416	4586.686	30 m चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक	--	3	--	50	--	75
83	भोपाल शहर	1416	4766.347	30 m चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक	--	2.5	--	50	--	75
84	भोपाल शहर	1416	111274.44 3	30 m चौड़ा मार्ग	45/30/18/12 m चौड़ा मार्ग	--	--	--	--	--	--
85	भोपाल शहर	1421	38648.457	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
86	भोपाल शहर	1421	2701.402	आवासीय	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1.25	2	30	40	18	45
87	भोपाल शहर	1421	9960.149	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	10	18	--
88	भोपाल शहर	1421	5639.467	आवासीय	30/12 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
89	भोपाल शहर	1421	4673.931	अमोद प्रमोद	आवासीय	--	2.5	--	50	--	45
90	भोपाल शहर	1421	27013.45	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	10	--	--
91	भोपाल शहर	1421	391.28	अमोद प्रमोद	सार्वजनिक सेवाएँ एवं	--	2	--	40	--	45

92	भोपाल शहर	1421	5566.193	अमोद प्रमोद	सुविधायें 30 m चौड़ा मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
93	भोपाल शहर	1421	2858.112	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	अमोद प्रमोद	1	0.05	25	10	18	--	--	--	--	--	--	--
94	भोपाल शहर	1421	6521.918	मार्ग	आवासीय	--	2.5	--	50	--	--	--	--	--	--	--	45
95	भोपाल शहर	1421	2688.043	मार्ग	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	--	2	--	40	--	--	--	--	--	--	--	45
96	भोपाल शहर	1421	5256.303	मार्ग	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--
97	भोपाल शहर	1418	12764.498	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	50	18	--	--	--	--	--	--	75
98	भोपाल शहर	1418	211.726	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	--	--	--	--	--	--	75
99	भोपाल शहर	1418	4220.934	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	10	18	--	--	--	--	--	--	--
100	भोपाल शहर	1418	15805.896	आवासीय	45/18 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--	--	--	--	--	--	--
101	भोपाल शहर	1418	13135.204	आवासीय	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1.25	1	30	40	18	--	--	--	--	--	--	45
102	भोपाल शहर	1418	2200.354	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	30 m चौड़ा मार्ग	1	--	25	--	18	--	--	--	--	--	--	--
103	भोपाल शहर	1418	23210.164	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1	2	25	40	18	--	--	--	--	--	--	45
104	भोपाल शहर	1419	14477.741	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	--	--	--	--	--	--	45

105	भोपाल शहर	1419	19549.805	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	30
106	भोपाल शहर	1419	7621.973	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
107	भोपाल शहर	1419	40279.154	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
108	भोपाल शहर	1419	9841.041	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	3	30	50	18	75
109	भोपाल शहर	1419	12753.173	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
110	भोपाल शहर	1419	38845.196	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--
111	भोपाल शहर	1419	7633.172	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय	1.25	2	30	40	18	45
112	भोपाल शहर	1419	577.505	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय	1.25	2.5	30	40	18	45
113	भोपाल शहर	1419	56795.778	45/30/24/12 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
114	भोपाल शहर	1419	4703.473	30 m चौड़ा मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	--	25	--	18	--
115	भोपाल शहर	1419	18900.693	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1	2	25	40	18	45
116	भोपाल शहर	1419	53646.335	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	5	--	--
117	भोपाल शहर	1455	804.153	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
118	भोपाल शहर	1455	1436.781	45/30/24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--

119	भोपाल शहर	1455	3493.15	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
120	भोपाल शहर	1455	1437.541	आवासीय	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	1.25	2	30	40	18	45
121	भोपाल शहर	1455	2365.601	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	5	--	--
122	भोपाल शहर	1456	10185.265	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	75
123	भोपाल शहर	1456	9414.76	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	50	18	75
124	भोपाल शहर	1456	8623.562	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	5	18	--
125	भोपाल शहर	1456	12103.39	आवासीय	45/30/24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
126	भोपाल शहर	1456	18256.998	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
127	भोपाल शहर	1456	6793.337	आवासीय	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	1.25	2	30	40	18	30
128	भोपाल शहर	1456	4464.948	वाणिज्यिक	अमोद प्रमोद	1.75	0.05	30	5	18	--
129	भोपाल शहर	1456	3214.21	वाणिज्यिक	45/30 m चौड़ा मार्ग	1.75	--	30	--	18	--
130	भोपाल शहर	1456	6544.234	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	1	2.5	25	40	18	45
131	भोपाल शहर	1456	9665.802	अमोद प्रमोद	वाणिज्यिक	--	2.5	--	50	--	75
132	भोपाल शहर	1456	2647.986	अमोद प्रमोद	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	--	2.5	--	40	--	45

133	भोपाल शहर	1456	3644.76	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	5	--	--	--
134	भोपाल शहर	1488	5677.77	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	50	18	75	75
135	भोपाल शहर	1488	18179.872	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	5	18	--	--
136	भोपाल शहर	1488	18837.89	आवासीय	30/18 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--	--
137	भोपाल शहर	1488	73897.398	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45	45
138	भोपाल शहर	1488	2056.086	वाणिज्यिक	अमोद प्रमोद	1.75	0.05	30	2	18	--	--
139	भोपाल शहर	1488	2849.959	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	3	30	50	18	75	75
140	भोपाल शहर	1491	7497.079	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	50	18	75	75
141	भोपाल शहर	1491	1443.888	आवासीय	18 चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--	--
142	भोपाल शहर	1491	5114.354	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45	45
143	भोपाल शहर	1491	1358.844	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	3	30	50	18	75	75
144	भोपाल शहर	1493	732.579	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	40	18	75	75
145	भोपाल शहर	1493	4797.534	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	5	18	--	--
146	भोपाल शहर	1493	11641.769	आवासीय	45/18 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--	--
147	भोपाल शहर	1493	6009.15	आवासीय	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1.25	1	30	40	18	45	45

148	भोपाल शहर	1493	4818.021	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	2	30	40	18	45
149	भोपाल शहर	1493	14814.968	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
150	भोपाल शहर	1493	2526.663	वाणिज्यिक	अमोद प्रमोद	1.75	0.05	30	5	18	--
151	भोपाल शहर	1493	3609.923	वाणिज्यिक	45/18 m चौड़ा मार्ग	1.75	--	30	--	18	--
152	भोपाल शहर	1493	8225.573	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	3	30	40	18	75
<b>Total</b>		<b>1359649.408</b>									

शर्त :-

1. स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित मार्गों को स्मार्ट सिटी के बाहर वर्तमान में स्थित मार्गों से समन्वय रखा जाना अनिवार्य होगा।
2. मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ समन्वय कर स्मार्ट सिटी योजना तैयार की जायें, ताकि मेट्रो स्टेशन का उपयोग करने वाले यात्रियों हेतु समस्त सुविधाओं का प्रावधान स्टेशन के पास किया जा सके।

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.